

प्रेषक

मुकुल सिंहल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग

लेखनांक: दिनांक: 12 फरवरी, 2018

विषय:- उत्तर प्रदेश हैण्डलूम पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल, एवं गारमेन्टिंग पालिसी-2017 में अनुमन्य वित्तीय सुविधाओं का क्रियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश हैण्डलूम पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल, एवं गारमेन्टिंग पालिसी-2017 में अनुमन्य वित्तीय सुविधाओं का क्रियान्वयन निम्नानुसार किया जायेगा :-

उत्तर प्रदेश में वस्त्र उद्योग इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने एवं पूंजी निवेश को आकर्षित करने, तथा अधिकाधिक रोजगार सृजन हेतु उत्तर प्रदेश हैण्डलूम पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल, एवं गारमेन्टिंग पालिसी- 2017 अधिसूचना संख्या-236 / 63व0उ0-2018-155(एच) / 2017 दिनांक 25.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित की गयी है। प्रदेश में स्थापित होने वाली वस्त्र उद्योग इकाईयों को उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेन्टिंग पालिसी 2017 के अन्तर्गत सभी वित्तीय सुविधायें एवं उपादान योजनाओं का लाभ अनुमन्य होगा।

यह योजना औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 की अधिसूचना जारी होने की तिथि 13 जुलाई 2017 से 05 वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

योजना की संक्षिप्त रूपरेखा क्रियान्वयन, निर्णय एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्नवत् है:-

1	योजना का शीर्षक	उत्तर प्रदेश हैण्डलूम पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल, एवं गारमेन्टिंग पालिसी- 2017 की क्रियान्वयन योजना
2	योजना की अवधि	13.07.2017 से 5 वर्षों की अवधि तक अथवा नीति के संशोधित होने तक प्रभावी रहेगी।
3	योजना का कार्यक्षेत्र	<ul style="list-style-type: none"> • प्रदेश के आंचलिक क्षेत्रवार (पूर्वाञ्चल, बुन्देलखण्ड, मध्याञ्चल एवं पश्चिमाञ्चल) निर्धारित सीमा के अन्तर्गत वित्तीय सुविधायें देय हैं। • सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश (नीति में वर्णित कुछ वित्तीय सुविधायें जनपद विशेष (जी0बी0नगर) में देय नहीं हैं।)
4	योजना के परिचालन हेतु प्राधिकृत संस्था	<ul style="list-style-type: none"> • हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय (रेशम उद्योग से सम्बन्धित इकाईयों को छोड़कर) • रेशम उद्योग निदेशालय (रेशम उद्योग इकाईयों हेतु)
5	योजना के संचालन हेतु अधिकृत सहयोगी संस्था	परियोजना प्रबन्धक एजेन्सी (Project Management Agency) (P.M.A.) (शासन के परामर्श के आधार पर चयनित संस्था)

६.	योजना के घटक	योजना में वर्णित वित्तीय सुविधायें योजना के घटक के रूप में जानी जायेगी। योजना के घटक निम्नलिखित हैं :-
६.१	सरकारी एजेन्सियों द्वारा भूमि आवंटन में सभिल्डी	<ul style="list-style-type: none"> सरकारी एजेन्सियों यथा-यू.पी.एस.आई.डी.सी., सी.आ., लीडा एवं अन्य विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थाओं में टेक्स्टाइल यूनिटों के लिये, इन संस्थाओं से प्रत्यक्षतः भूमि क्य करने पर निवेशकों को भूमि की कीमत की 50 प्रतिशत सभिल्डी की प्रतिपूर्ति देय होगी। गोतमबुद्ध नगर जनपद में यह सभिल्डी 30 प्रतिशत देय होगी। यह सभिल्डी कुल परियोजना लागत की 5 प्रतिशत तक सीमित होगी। <p>शर्त/प्रतिवक्ष :- यह प्रतिपूर्ति तब की जायेगी, जब इकाई भूमि क्य के पाँच वर्षों के अन्दर वाणिजिक उत्पादन प्रारम्भ कर देती है।</p>
६.२	स्टाम्प इयूटी में छूट	<ul style="list-style-type: none"> गौतमबुद्ध नगर जनपद को छोड़कर शेष ३० प्र० में खापित होने वाले वस्त्रोदयों से सम्बन्धित इकाईयों को स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट गौतमबुद्ध नगर जनपद में खापित होने वाले वस्त्रोदयों से सम्बन्धित इकाईयों को स्टाम्प शुल्क में 75 प्रतिशत की छूट उपलब्ध करायी जायेगी। रेशम चाकी/कोया उत्पादन/धाराकरण इकाईयों को सम्पूर्ण प्रदेश में 100 प्रतिशत स्टाम्प इयूटी में छूट उपलब्ध कराई जायेगी। पूर्वे प्रदेश में वस्त्र उद्योग सम्बन्धी अवस्थापना सुविधाओं के विकास (यथा-एकीकृत ट्रान्सपोर्ट व व्यवस्थापिक केन्द्र, प्रदर्शनी केन्द्र, वेरहारकेस, जल आपूर्ति, जल निकासी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लाट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लाट, एप्ट्रोप्ट ट्रीटमेंट प्लाट की स्थापना) हेतु भूमि के क्य पर स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जायेगी। राज्य में (गोतमबुद्ध नगर को छोड़कर) टेक्स्टाइल पार्कों/आस्थायों के विकासकर्ता को भूमि के क्य पर 100 प्रतिशत स्टाम्प इयूटी में छूट अनुमत्य होगी। निजी/संयुक्त क्षेत्र एस.पी.डी. द्वारा खापित वस्त्र पार्क में प्रत्येक भूमि के प्रथम खरीददार को 50 प्रतिशत स्टाम्प इयूटी में छूट उपलब्ध करायी जायेगी। सम्पूर्ण प्रदेश में स्टाम्प क्वार्टर/हास्टल/डारमेटरी के विकास हेतु क्य की गई भूमि पर स्टाम्प इयूटी में 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी। स्टाम्प इयूटी में छूट की गणना भूमि क्य करने की तिथि को प्रचलित सार्किल रेट के अनुसार आगित की जायेगी, जो उपरोक्त सभी प्रकार की भूमि पर लागू होगी तथा उपरोक्त समस्त छूट स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा इकाई को उपलब्ध करायी जायेगी। UPFCC/PIICUP/वैकों द्वारा वित्त पोषित बन्द पड़ी इकाईयों को विक्री पर स्टाम्प इयूटी की गणना सार्किल दर के स्थान पर सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कीमत पर की जायेगी। पेरेन्ट कम्पनी द्वारा अपनी ऐसी सब्सिडियरी कम्पनी, जिसमें पेरेन्ट का अंशदान 90 प्रतिशत से अधिक है, को भूमि स्थानान्तरण पर स्टाम्प इयूटी में 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी।
६.३	राज्य कर विभाग से छूट	<p>राज्य को प्राप्त नेट जीएसटी० अंश की प्रतिपूर्ति स्थायी पूँजी निवेश (भूमि, भवन, अन्य निर्माण, ब्लान्ट एवं मशीनरी) का 25 प्रतिशत की अधिकतम वार्षिक सोमा तक अख्या वार्षिक वार्षिक कर जमा, जो भी कम हो, 10 वर्षों तक प्रतिपूर्ति निमानुसार की जायेगी :-</p> <ul style="list-style-type: none"> समस्त उत्तर प्रदेश में वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों हेतु 90 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जायेगी। वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित इकाईयां, जो एमएसएमई. नहीं हैं, को निमानुसार प्रतिपूर्ति की जायेगी :- <ol style="list-style-type: none"> पूर्वन्चल एवं बुन्देलखण्ड में 90 प्रतिशत

		<ul style="list-style-type: none"> ii. मध्यान्वल एवं पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर जनपद को छोड़कर) में 75 प्रतिशत iii. गौतमबुद्धनगर जनपद में 60 प्रतिशत की, की जायेगी। <ul style="list-style-type: none"> प्रदेश में वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित मेंगा एवं सुपर मेंगा श्रेणी के उद्योगों हेतु 80 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जायेगी। 																								
6.4	अवस्थापना उपादान	<ul style="list-style-type: none"> वस्त्र उद्योग इकाईयों को उनके द्वारा उपयोग हेतु अवस्थापना सुविधाओं यथा सड़क, सीवर, इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट, जल निकासी, पावर लाईन, ट्रान्सफार्मर एवं पावर फीडर की स्थापना इत्यादि के विकास हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर उपादान प्रतिपूर्ति के रूप में देय होगा। प्रतिपूर्ति 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 05 वर्षों तक, प्रति इकाई कुल रु0 1 करोड़ की सीमा तक देय होगी। 																								
6.5	पूँजीगत उपादान	<ul style="list-style-type: none"> वस्त्र उद्योग और गारमेन्टिंग इकाई को प्लांट एवं मशीनरी (TUFS में वर्णित प्लान्ट एवं मशीनरी) हेतु 25 प्रतिशत पूँजीगत उपादान की प्रतिपूर्ति निम्न सीमा के अनुसार की जायेगी— <table border="1"> <thead> <tr> <th>लागत की श्रेणी</th><th>प्रोजेक्ट लागत (करोड़ रु0 में)</th><th>अथवा न्यूनतम रोजगार सीमा</th><th>उपादान की सीमा (करोड़ रु0 में)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>प्रथम</td><td><=10</td><td>50</td><td>2</td></tr> <tr> <td>द्वितीय</td><td>>10 but <=50</td><td>200</td><td>10</td></tr> <tr> <td>तृतीय</td><td>>50 but <=100</td><td>300</td><td>20</td></tr> <tr> <td>चतुर्थ</td><td>>100 but <=200</td><td>500</td><td>40</td></tr> <tr> <td>पंचम</td><td>>200</td><td>1000</td><td>100</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> रु0 01 करोड़ या अधिक पूँजी निवेश करने वाली रेशम रीलिंग इकाईयों को 20 प्रतिशत पूँजीगत उपादान दिया जायेगा, यह उपादान भारत सरकार की संस्थाओं यथा सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड द्वारा दी जा रही सुविधा के अतिरिक्त होगा। पूँजीगत उपादान की धनराशि सीधे इकाई के प्लान्ट एवं मशीनरी हेतु लिये गये टर्म लोन के खाते में सम्बन्धित बैंक शाखा को स्थानान्तरित की जायेगी। इससे इकाई को देय ब्याज का भार कम होगा। 	लागत की श्रेणी	प्रोजेक्ट लागत (करोड़ रु0 में)	अथवा न्यूनतम रोजगार सीमा	उपादान की सीमा (करोड़ रु0 में)	प्रथम	<=10	50	2	द्वितीय	>10 but <=50	200	10	तृतीय	>50 but <=100	300	20	चतुर्थ	>100 but <=200	500	40	पंचम	>200	1000	100
लागत की श्रेणी	प्रोजेक्ट लागत (करोड़ रु0 में)	अथवा न्यूनतम रोजगार सीमा	उपादान की सीमा (करोड़ रु0 में)																							
प्रथम	<=10	50	2																							
द्वितीय	>10 but <=50	200	10																							
तृतीय	>50 but <=100	300	20																							
चतुर्थ	>100 but <=200	500	40																							
पंचम	>200	1000	100																							
6.6	मार्जिन मनी अनुदान	<p>रेशम उद्योग (चाकी कीट पालन, कोया उत्पादन, रीलिंग एवं स्पिनिंग) को प्रोत्साहन देने हेतु अधिकतम रु0 1.00 करोड़ तक पूँजी निवेश करने वाली इकाईयों को राष्ट्रीयकृत बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋण पर 15 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान दिया जायेगा, जिसकी गणना बैंक द्वारा आपणित परियोजना लागत पर की जायेगी। अनुसूचित जाति/जन जाति के उद्यमियों को 20 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान दिया जायेगा।</p> <ul style="list-style-type: none"> प्रदत्त सब्सिडी भारत सरकार/या सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड की योजना में राज्य सरकार के अंश के अतिरिक्त होगा। 																								
6.7	ब्याज उपादान योजना	<ul style="list-style-type: none"> वस्त्र उद्योग इकाईयों को बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा TUFS पात्रता वाली प्लांट एवं मशीनरी हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 07 प्रतिशत उपादान अधिकतम 07 वर्षों तक देय है। गौतमबुद्धनगर जनपद को छोड़कर पूरे प्रदेश में प्रति वर्ष प्रति इकाई अधिकतम रु0 1.5 करोड़ तक की प्रतिपूर्ति की जायेगी। यह सीमा गौतमबुद्धनगर जनपद के लिए प्रतिवर्ष रु0 75 लाख होगी। 																								
6.8	कार्यशील पूँजी सब्सिडी	<ul style="list-style-type: none"> रेशम रीलिंग इकाईयाँ, जो प्रदेश में उत्पादित कोये से न्यूनतम 75 प्रतिशत धागा उत्पादन करती हैं, उन्हें वर्किंग कैपिटल ऋण पर 5 वर्षों तक 5 प्रतिशत की दर से ब्याज उपादान दिया जायेगा। इसकी अधिकतम सीमा रु0 50 हजार प्रति इकाई प्रतिवर्ष होगी। प्रदेश में उत्पादित कोये से न्यूनतम 75 प्रतिशत धागा उत्पादन के प्रमाणीकरण हेतु रेशम रीलिंग इकाई को कोया खरीद एवं उत्पादन समरी शीट/चार्ट आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। 																								
6.9	ई०पी०एफ० प्रतिपूर्ति	<ul style="list-style-type: none"> 100 अथवा उससे अधिक श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने वाली सभी नई वस्त्रोद्योग इकाईयों को नियोक्ता के अंश के 50 प्रतिशत की दर से ई०पी०एफ० प्रतिपूर्ति की सुविधा 5 वर्षों तक प्रदान की जायेगी। इसके लिए श्रमिक को Employee Provident Fund Scheme 																								

		Reforms/ प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना से आच्छादित नहीं होना चाहिए। <ul style="list-style-type: none"> 200 से अधिक श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने वाली इकाईयों को नियोक्ता के अंश का 60 प्रतिशत की दर से ₹०३००० प्रतिपूर्ति की सुविधा 5 वर्षों तक दी जायेगी। इसके लिए श्रमिक को Employee Provident Fund Scheme Reforms/प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना से आच्छादित नहीं होना चाहिए। गारमेन्ट/परिधान सेक्टर की ऐसी इकाईयाँ, जो भारत सरकार की Employee Provident Fund Scheme Reforms/प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत ₹०३००० प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित वित्तीय सहायता की सुविधा 3 वर्षों तक प्राप्त करती हैं। उन इकाईयों को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 2 वर्षों के लिये यह सुविधा अनुमत्य करायी जायेगी। 												
6.10	माल—भाड़े की प्रतिपूर्ति	<ul style="list-style-type: none"> गारमेन्ट के नियात को बढ़ावा देने के लिये इकाई से एयर पोर्ट/सी—पोर्ट तक माल—भाड़े पर 25 से 75 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति निम्नानुसार प्रदान की जायेगी :— <table> <tr> <td>i.</td> <td>प्रथम दो वर्षों तक</td> <td>—</td> <td>75 प्रतिशत</td> </tr> <tr> <td>ii.</td> <td>अगले दो वर्ष तक</td> <td>—</td> <td>50 प्रतिशत</td> </tr> <tr> <td>iii.</td> <td>पांचवें वर्ष में</td> <td>—</td> <td>25 प्रतिशत</td> </tr> </table> माल भाड़ा का आगणन इकाई से पोर्ट (एयर पोर्ट एवं सी—पोर्ट) तक न्यूनतम दूरी का रेलवे द्वारा निर्धारित माल भाड़े की दर से किया जायेगा। तदनुसार आगणित माल भाड़े पर देय प्रतिशत के अनुसार प्रतिपूर्ति प्रदान की जायेगी। 	i.	प्रथम दो वर्षों तक	—	75 प्रतिशत	ii.	अगले दो वर्ष तक	—	50 प्रतिशत	iii.	पांचवें वर्ष में	—	25 प्रतिशत
i.	प्रथम दो वर्षों तक	—	75 प्रतिशत											
ii.	अगले दो वर्ष तक	—	50 प्रतिशत											
iii.	पांचवें वर्ष में	—	25 प्रतिशत											
6.11	मेगा एवं सुपर मेगा इकाईयों को रोजगार सृजन अनुदान	<ul style="list-style-type: none"> मेगा और सुपर मेगा गारमेन्टिंग इकाईयों को प्रति माह प्रति श्रमिक ₹० ३२०० रोजगार सृजन अनुदान प्रदान किया जायेगा। यह अनुदान १५,००० सिलाई मशीनों की कुल क्षमता मेगा एवं सुपर मेगा इकाईयों में सृजित होने तक प्रदान की जायेगी। 												
6.12	ऊर्जा सम्बन्धी प्राविधान	<ul style="list-style-type: none"> नई इकाईयों को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 10 वर्ष तक 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। कैपिटल पावर प्लांट द्वारा उत्पादित एवं स्वयं प्रयोग की जाने वाली विद्युत को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से 10 वर्ष तक मुक्त रखा जायेगा। वस्त्र उद्योग संकुलों एवं पार्कों तथा एक निर्धारित मात्रा से अधिक विद्युत उपयोग करने वाली इकाईयों को विद्युत प्राप्ति हेतु Open Access की अनुमति Electricity Act-2003 के अनुसार प्रदान की जाएगी। <p>उपरोक्त छूट प्रदान करने हेतु ऊर्जा विभाग द्वारा शासनादेश जारी किया जायेगा।</p>												
6.13	मण्डी शुल्क में छूट	<ul style="list-style-type: none"> सभी वस्त्र उद्योग इकाईयों को कच्चा माल खरीदने पर मण्डी शुल्क में 05 वर्ष तक छूट प्रदान की जायेगी। इस हेतु कृषि विभाग द्वारा शासनादेश जारी किया जायेगा। 												
6.14	प्लग एण्ड प्ले इन्फास्ट्रक्चर	<ul style="list-style-type: none"> एक निश्चित लोकेशन के लिये गारमेन्ट सेक्टर के उद्यमी द्वारा सहमति पत्र (एम०ओ०य०) भरने के पश्चात राज्य सरकार की एजेन्सी द्वारा प्लग एण्ड प्ले इन्फास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जायेगा। 												
6.15	कौशल विकास हेतु भारत सरकार की योजना में गैप फिलिंग	<ul style="list-style-type: none"> टेक्सटाइल सेक्टर में कौशल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हेतु भारत सरकार की “Integrated Skill Development Scheme for the Textiles and Apparel Sector Including Jute and Handicrafts” योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक औद्योगिक एसेसिएशन एवं एन०जी०ओ० को जोड़ा जायेगा। आवश्यकतानुसार गैप फिलिंग के आधार पर राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से निर्धारित प्रोजेक्ट कास्ट का अधिकतम 25 प्रतिशत का अनुदान दिया जायेगा। इस क्षेत्र की इकाईयों/संस्थाओं को अपनी आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाने के लिये प्रेरित जायेगा। 												

3.16	मेंगा एवं सुपर मेंगा इकाईयों को अन्य सुविधायें	मेंगा एवं सुपर मेंगा को अन्य
		<ul style="list-style-type: none"> ऐसी इकाईयों की परिभाषा निम्न प्रकार होगी :-

उद्योग का प्रकार	श्रेणी सम्बन्धी मानदण्ड
मेंगा यूनिट	<p>बुद्धेलखण्ड एवं पूर्वचाल में</p> <p>निवेश : रु 50 करोड़ से 75 करोड़ से 125 करोड़ तक</p> <p>अथवा</p> <p>रोजगार : न्यूनतम 750 (गरमेंटिंग इकाई के लिए न्यूनतम 1500)</p>
सुपर मेंगा यूनिट	<p>निवेश : रु 75 करोड़ से अधिक</p> <p>अथवा</p> <p>रोजगार : न्यूनतम 1000 (गरमेंटिंग इकाई के लिए न्यूनतम 1500)</p> <p>निवेश : रु 125 करोड़ से अधिक</p> <p>अथवा</p> <p>रोजगार : न्यूनतम 1000 (गरमेंटिंग इकाई के लिए न्यूनतम 2000)</p>

- वर्त नीति में वर्णित वित्तीय सुविधाओं की अधिकतम सीमा में छूट मेंगा एवं सुपर मेंगा इकाईयों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित इमाराई कमेटी की संस्थानी के उपरान्त मन्त्रिपरिषद्/उत्तर प्रदेश निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की स्थीकृति के उपरान्त दिया जायेगा।
- मेंगा इकाईयों को 70प्र० वस्त्र उद्योग नीति में वर्णित सभी वित्तीय सुविधाओं को सुसंगत शर्तों के अधीन अनुमत्य कराया जायेगा। केंस-टू-केंस आधार पर इन सुविधाओं की अधिकतम वित्तीय सीमा को मुख्य सचिव की कमेटी की संस्थानी तथा मात्र मन्त्रिपरिषद्/उत्तर प्रदेश निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के अनुमानोंपरान्त शिखित किया जा सकतगा, परन्तु प्रतिवर्ष यह है कि मेंगा परियोजनाओं को कोई ऐसी सुविधाएं अनुमत्य नहीं करायी जायेंगी, जो उत्तर प्रदेश वर्त उद्योग नीति में आचारित न हों।
- इन परियोजनाओं हेतु भूमि का अवंटन, जल, विद्युत संरेख्यन आदि के प्राथमिकता से फास्ट ट्रैक मोड पर उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसी इकाईयों को यदि परियोजना की स्थापना हेतु अवश्यपना सम्बन्धी जैसे-सँडिक, विद्युत लाइन, सीवर लाइन, जल निकासी की आवश्यकता होगी, तो उसे व्यापारसम्बन्ध शासकीय व्यय पर उपलब्ध कराए जाने पर विचार किया जाएगा।
- दिए एसपी. ईक का एक प्रतिस आफिसर निवेशक पुलिस मित्र' या निवेशक का दोस्त के रूप में नामित होगा ताकि वह सुनिश्चित हो सके कि इकाई को कानून व्यवस्था समर्थी कोई समस्या न हो तथा इकाई शासक समस्याओं के कारण बन्द न हो।
- सुपर मेंगा इकाईयों को उपर्युक्त सुविधाओं के अतिरिक्त केंस-टू-केंस आधार पर अन्य प्रदेशों की तर्ज पर सुविधा या उनकी आवश्यकता के दृष्टिगत मुख्य सचिव की कमेटी की संस्थानी तथा मात्र मन्त्रिपरिषद्/उत्तर प्रदेश निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के अनुमानोंपरान्त वे सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा सकती हैं, जो उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति से आचारित नहीं हैं।
- सुपर मेंगा इकाईयों को उपर्युक्त सुविधाओं के अतिरिक्त केंस-टू-केंस आधार पर अन्य प्रदेशों की तर्ज पर सुविधा या उनकी आवश्यकता के दृष्टिगत मुख्य सचिव की कमेटी की संस्थानी तथा मात्र प्रतिवर्ष वाली वस्त्र औद्योगिक इकाईयों को सभी प्रकार के व्याज उपादानों में 2.5 प्रतिशत अतिरिक्त व्याज उपादान दिया जायेगा।
- यह अतिरिक्त व्याज उपादान 7.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा तथा कुल व्याज उपादान पूर्ण देव व्याज से अधिक नहीं होगा।

6.17	अनुसूचित जाति / जनजाति / महिला / दिव्यांगों के स्थानिक वाली वस्त्र औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहन	<ul style="list-style-type: none"> राज्य सरकार द्वारा इस नीति के तहत अनुसूचित जाति / जनजाति / महिला / दिव्यांगों की न्यूनतम 75 प्रतिशत स्थानिक वाली वस्त्र औद्योगिक इकाईयों को सभी प्रकार के व्याज उपादानों में 2.5 प्रतिशत अतिरिक्त व्याज उपादान दिया जायेगा। यह अतिरिक्त व्याज उपादान 7.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा तथा कुल व्याज उपादान पूर्ण देव व्याज से अधिक नहीं होगा।
6.18	70प्र० प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति / महिला / बी.पी.एल.	<ul style="list-style-type: none"> परिचयान्वत में 1000 से अधिक श्रमिकों अथवा बुन्देलखाड़, पूर्वाञ्चल एवं मध्याञ्चल में 750 से अधिक 70प्र० के मूल निवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान कर ही वक्त उद्योग इकाईयों को जी0एसट० के तहत राज्य की हिस्सेदारी के रूप में राज्य के खाते में जमा Net State GST धनराशि के 10 प्रतिशत की अतिरिक्त प्रतिपूर्ति निम्नलिखित किसी शर्त की पूर्ति होने पर करायी जायेगी :- न्यूनतम 25 प्रतिशत शासकीय गरीबी रेखा के नीचे से हैं,

अतिरिक्त ग्रेटोहन	अथवा	अथवा
	<ul style="list-style-type: none"> न्यूनतम 50 प्रतिशत महिला श्रमिक हों, 	<ul style="list-style-type: none"> न्यूनतम 25 प्रतिशत श्रमिक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के हों।
6.19 टेक्सटाइल औद्योगिक आश्वानों / पार्कों हेतु भूमि लागत ब्याज उपादान	<ul style="list-style-type: none"> टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु भूमि के क्षय हेतु लिये गये ऋण पर देय वार्षिक ब्याज की प्रतिपूर्ति की धनराशि—देय वार्षिक ब्याज की 50 प्रतिशत 7 वर्षों तक देय होगी। भूमि लागत ब्याज उपादान” भूमि क्षय के दिनांक को प्रयोगित सार्किल रेट के आधार पर आगणित किया जायेगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹० १० एक करोड़ प्रतिवर्ष होगी। 	<ul style="list-style-type: none"> टेक्सटाइल पार्कों /आश्वानों के आन्तरिक अवस्थाना सुविधाओं के विकास हेतु लिये गये ऋण पर देय वार्षिक ब्याज की 60 प्रतिशत धनराशि की प्रतिपूर्ति 7 वर्षों तक देय होगी। ब्याज उपादान की अधिकतम सीमा ₹० 10 करोड़ प्रतिवर्ष प्रति टेक्सटाइल पार्क /आश्वान होगी, जिसकी अधिकतम संचयी सीमा ₹० 50 करोड़ तक देय होगी। ई.टी.पी., प्रशिक्षण केन्द्र एवं परीक्षण प्रयोगशाला भी इस उपादान के लिये योग्य होंगी।
6.20 आन्तरिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु ब्याज उपादान	<ul style="list-style-type: none"> टेक्सटाइल पार्कों /आश्वानों के आन्तरिक अवस्थाना सुविधाओं के विकास हेतु लिये गये ऋण पर देय वार्षिक ब्याज की 60 प्रतिशत धनराशि की प्रतिपूर्ति 7 वर्षों तक देय होगी। ब्याज उपादान की अधिकतम सीमा ₹० 10 करोड़ प्रतिवर्ष प्रति टेक्सटाइल पार्क /आश्वान होगी, जिसकी अधिकतम संचयी सीमा ₹० 50 करोड़ तक देय होगी। 	<ul style="list-style-type: none"> टेक्सटाइल पार्कों /आश्वानों में स्टफ क्वार्टर /हास्टल /डोरमेट्री के निर्माण हेतु लिये गये ऋण पर देय वार्षिक ब्याज की प्रतिपूर्ति की यह सुविधा गोतमधुद्वं नगर को छोड़कर शेष ₹०३० में अनुमत्य होगी। ब्याज उपादान की अधिकतम सीमा ₹० 10 करोड़ प्रतिवर्ष प्रति टेक्सटाइल पार्क /आश्वान अथवा प्लग एण्ड लो के क्षेत्र में भी होगी, जिसकी अधिकतम संचयी सीमा ₹० 30 करोड़ तक देय होगी। प्रतिपूर्ति की धनराशि देय वार्षिक ब्याज की 60 प्रतिशत प्रतिवर्ष 7 वर्षों तक देय होगी। ब्याज उपादान की अधिकतम सीमा ₹० 5 करोड़ प्रतिवर्ष प्रति टेक्सटाइल पार्क /आश्वान अथवा प्लग एण्ड लो के क्षेत्र में भी होगी, जिसकी अधिकतम संचयी सीमा ₹० 30 करोड़ तक देय होगी।
6.21 टेक्सटाइल पार्कों /आश्वानों में स्टफ क्वार्टर /हास्टल /डोरमेट्री के निर्माण हेतु ब्याज उपादान	<ul style="list-style-type: none"> टेक्सटाइल पार्कों /आश्वानों में स्टफ क्वार्टर /हास्टल /डोरमेट्री के निर्माण हेतु लिये गये ऋण पर देय वार्षिक ब्याज की प्रतिपूर्ति की यह सुविधा गोतमधुद्वं नगर को छोड़कर शेष ₹०३० में अनुमत्य होगी। यह सुविधा प्लग एण्ड लो सुविधाओं के समीपीय क्षेत्र में भी होगी। स्टफ क्वार्टर /हास्टल /डोरमेट्री हेतु जमीन की व्यवस्था विकासकर्ता द्वारा की जायेगी। स्टफ क्वार्टर के समीपीय क्षेत्र में भी होगी। 	<ul style="list-style-type: none"> प्रतिपूर्ति की धनराशि देय वार्षिक ब्याज की 60 प्रतिशत प्रतिवर्ष 7 वर्षों तक देय होगी। ब्याज उपादान की अधिकतम सीमा ₹० 5 करोड़ प्रतिवर्ष प्रति टेक्सटाइल पार्क /आश्वान अथवा प्लग एण्ड लो के क्षेत्र में भी होगी, जिसकी अधिकतम संचयी सीमा ₹० 30 करोड़ तक देय होगी। प्रतिपूर्ति 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 05 वर्षों तक हेतु प्रति लेब /टुलरम कुल ₹० 1 करोड़ की सीमा तक देय होगी।
6.22 गुणवत्ता विकास उपादान	<ul style="list-style-type: none"> वस्त्र अनुसंधान, वस्त्र उत्पादों की गुणवत्ता सुधार एवं विकास के लिये वात्सोद्योग संगठनों, वस्त्र इकाईयों के समूहों द्वारा टेस्टिंग लेब, क्लिनिंग सर्टिफिकेशन लेब एवं टूलरम स्थापित करने हेतु लांट, मशीनरी एवं इलेक्ट्रोप्रॉमांट्स पर किये जाने वाले व्यय हेतु लिये गये ऋण पर देय व्याज की दर पर उपादान प्रतिपूर्ति के रूप में देय होगा। प्रतिपूर्ति 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 05 वर्षों तक हेतु प्रति लेब /टुलरम कुल ₹० 1 करोड़ की सीमा तक देय होगी। 	<ul style="list-style-type: none"> वस्त्र अनुसंधान, वस्त्र उत्पादों की गुणवत्ता सुधार एवं विकास के लिये वात्सोद्योग संगठनों, वस्त्र इकाईयों के समूहों द्वारा टेस्टिंग लेब, क्लिनिंग सर्टिफिकेशन लेब एवं टूलरम स्थापित करने हेतु लांट, मशीनरी एवं इलेक्ट्रोप्रौद्योगिक उत्पादों की व्यवस्था विकासकर्ता द्वारा देने के लिये 500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जायेगी।
6.23 बुनाई विषय से इण्टर मीडिएट उत्तरीण छात्रों को छात्रवृत्ति अनुदान	<ul style="list-style-type: none"> व्यवसायिक विषयों के पाठ्यम से शिक्षा प्रहण करने वाले ऐसे छात्र, जो कराई एवं बुनाई विषय से इण्टरमीडिएट (कक्षा-11, 12) की शिक्षा प्रहण कर रहे हैं, प्रति वर्ष ऐसे 2000 छात्रों को प्राप्ताहन देने के लिये 500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जायेगा। 	<ul style="list-style-type: none"> बुनाई प्रशिक्षण कालेजों के क्षय जैसे—जारी, जैकार्ड, कच्चा माल यथा—सूत, रंग—रसायन आदि के क्षय हेतु रुपये 5 माहादेश दिया जायेगा।
6.24 बुनाई विषय के इण्टर मीडिएट कालेजों को अनुदान	<ul style="list-style-type: none"> उपकरणों के क्षय जैसे—जारी, जैकार्ड, कच्चा माल यथा—सूत, रंग—रसायन आदि के क्षय हेतु रुपये 5 लाख विषय कालेज अनुदान दिया जायेगा। 	<ul style="list-style-type: none"> बुनाई विषय कालेजों के क्षय जैसे—जारी, जैकार्ड, कच्चा माल यथा—सूत, रंग—रसायन आदि के क्षय हेतु रुपये 5 माहादेश दिया जायेगा।
6.25 हृथकरधा बुनकर सहायक कार्मियों को मानदेश	<ul style="list-style-type: none"> 15 से 22 वर्ष की आयु के ऐसे व्यक्ति, जो हृथकरधा वस्त्रों की बुनाई /रंगाई /डिजाइन आदि कार्यों में बुनकर के सहायक के रूप में कार्य करते हैं, ऐसे सहायक कर्मियों को दो वर्षों तक रुपये 1000 प्रति माह मानदेश दिया जायेगा। 	<ul style="list-style-type: none"> 15 से 22 वर्ष की आयु के ऐसे व्यक्ति, जो हृथकरधा वस्त्रों की बुनाई /रंगाई /डिजाइन आदि कार्यों में बुनकर के सहायक के रूप में कार्य करते हैं, ऐसे सहायक कर्मियों को दो वर्षों तक रुपये 1000 प्रति माह मानदेश दिया जायेगा।
6.26 हृथकरधा कलस्टरों को अतिरिक्त अनुदान	<ul style="list-style-type: none"> चैंकी हृथकरधा एक परियारिक उद्योग है राजस्य सरकार द्वारा भारत सरकार से अनुमोदित /स्थीकृत बलरस्टर प्रोजेक्टों में आवश्यकतानुसार पूर्ण करने के लिये रु 15 लाख का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया 	<ul style="list-style-type: none"> चैंकी हृथकरधा एक परियारिक उद्योग है राजस्य सरकार से अनुमोदित /स्थीकृत

		जायेगा।													
27	प्रदेश के बाहर देश के बड़े शहरों में उत्तर प्रदेश के रेशम एवं हैप्पलूम कारीगरों तथा समितियों के प्रदशनियों का आयोजन	<ul style="list-style-type: none"> प्रदेश के बाहर देश के बड़े शहरों में उत्तर प्रदेश के रेशम एवं हैप्पलूम कारीगरों तथा समितियों के उत्पादों की विक्री के लिए प्रोत्साहन हेतु प्रति वर्ष चार विशेष प्रदशनियों आयोजित करायी जाएगी तथा स्थापित प्रदशनियों में भाग लेने हेतु सहायता दी जाएगी। प्रत्येक प्रदशनी पर अनुमति व्यय रुपये 40.00 लाख होगा। 													
6.28	मारत सरकार की संस्थाओं द्वारा विदेशों में आयोजित प्रदशनियों में प्रतिभागियों को वित्तीय सहायता	<ul style="list-style-type: none"> विदेश में आयोजित ऐसी 02 प्रदशनियाँ जिन्हें भारत सरकार /विकास आयुक्त, हथकरथा द्वारा आयोजित कराया जाता है, उनमें उत्तर प्रदेश के बुनकरों एवं समितियों को प्रतिभाग कराने हेतु एक व्यक्ति के प्रतिभाग करने के कुल व्यय का 90 प्रतिशत सहायता प्रतिपूर्ति के आधार पर दी जाएगी। 													
7	आवेदन पत्र का प्रस्तुतीकरण	<p>योजनानात्तर्गत लाभ प्राप्ति हेतु इकाई द्वारा आवेदन पत्र का प्रस्तुतीकरण</p> <ol style="list-style-type: none"> सम्बन्धित परिषेकीय सहायक आयुक्त के कार्यालय को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। परिषेकीय सहायक आयुक्त द्वारा आवेदन पत्र एवं वांछित प्रपत्रों का भौतिक सत्यापन, परीक्षण एवं श्वलीय निरीक्षण कर अपनी संस्कृति के साथ आवेदन पत्र निवेशालय को प्रेषित किया जायेगा। 													
8	योजना के संचालन हेतु गठित सक्रम कमीटियाँ	<p>1- योजनानात्तर्गत अनुमत्य वित्तीय सुविधाओं के आवेदन पत्रों के सत्यापन एवं परीक्षण तथा सत्यापन हेतु परिषेकरणीय कमीटी की सदस्य संचरना।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र0</th> <th>आवेदन-पत्र का प्रारूप</th> <th>परिषेकरणीय कमीटी की सदस्य संचरना</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>प्रारूप-1 प्रारूप-2 प्रारूप-3 प्रारूप-4</td> <td> <p>रेशम उद्योग से सम्बन्धित इकाइयों हेतु</p> <ol style="list-style-type: none"> सम्बन्धित सहायक निदेशक, रेशम उद्योग निदेशालय – संयोजक अधिकारी परिषेकीय सहायक आयुक्त, हथकरथा एवं वस्त्रोद्योग – सदस्य <p>रेशम उद्योग से भिन्न वस्त्र इकाइयों हेतु</p> <ol style="list-style-type: none"> सम्बन्धित प्रबन्धक, निद्रा पावरलूम सर्विस सेन्टर – सदस्य <p>अथवा</p> <p>वस्त्रायुक्त द्वारा संचालित पावरलूम सर्विस सेन्टर के प्रभारी अधिकारी</p> <ol style="list-style-type: none"> परिषेकीय सहायक आयुक्त, हथकरथा एवं वस्त्रोद्योग – संयोजक अधिकारी </td></tr> <tr> <td>2</td> <td>प्रारूप-6 प्रारूप-7</td> <td> <p>टेक्सटाइल पार्क हेतु</p> <ol style="list-style-type: none"> अधिकारी अभियन्ता, पौर्णपूर्णी – सदस्य सम्बन्धित प्रबन्धक, निद्रा पावरलूम सर्विस सेन्टर – सदस्य <p>अथवा</p> <p>सम्बन्धित सहायक निदेशक, वस्त्रायुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय अधिकारी</p> <ol style="list-style-type: none"> परिषेकीय सहायक आयुक्त, हथकरथा एवं वस्त्रोद्योग – संयोजक अधिकारी </td></tr> <tr> <td>3</td> <td>प्रारूप-8</td> <td>औद्योगिक इकाइयों के सम्बन्ध हेतु</td></tr> </tbody> </table>	क्र0	आवेदन-पत्र का प्रारूप	परिषेकरणीय कमीटी की सदस्य संचरना	1	प्रारूप-1 प्रारूप-2 प्रारूप-3 प्रारूप-4	<p>रेशम उद्योग से सम्बन्धित इकाइयों हेतु</p> <ol style="list-style-type: none"> सम्बन्धित सहायक निदेशक, रेशम उद्योग निदेशालय – संयोजक अधिकारी परिषेकीय सहायक आयुक्त, हथकरथा एवं वस्त्रोद्योग – सदस्य <p>रेशम उद्योग से भिन्न वस्त्र इकाइयों हेतु</p> <ol style="list-style-type: none"> सम्बन्धित प्रबन्धक, निद्रा पावरलूम सर्विस सेन्टर – सदस्य <p>अथवा</p> <p>वस्त्रायुक्त द्वारा संचालित पावरलूम सर्विस सेन्टर के प्रभारी अधिकारी</p> <ol style="list-style-type: none"> परिषेकीय सहायक आयुक्त, हथकरथा एवं वस्त्रोद्योग – संयोजक अधिकारी 	2	प्रारूप-6 प्रारूप-7	<p>टेक्सटाइल पार्क हेतु</p> <ol style="list-style-type: none"> अधिकारी अभियन्ता, पौर्णपूर्णी – सदस्य सम्बन्धित प्रबन्धक, निद्रा पावरलूम सर्विस सेन्टर – सदस्य <p>अथवा</p> <p>सम्बन्धित सहायक निदेशक, वस्त्रायुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय अधिकारी</p> <ol style="list-style-type: none"> परिषेकीय सहायक आयुक्त, हथकरथा एवं वस्त्रोद्योग – संयोजक अधिकारी 	3	प्रारूप-8	औद्योगिक इकाइयों के सम्बन्ध हेतु	
क्र0	आवेदन-पत्र का प्रारूप	परिषेकरणीय कमीटी की सदस्य संचरना													
1	प्रारूप-1 प्रारूप-2 प्रारूप-3 प्रारूप-4	<p>रेशम उद्योग से सम्बन्धित इकाइयों हेतु</p> <ol style="list-style-type: none"> सम्बन्धित सहायक निदेशक, रेशम उद्योग निदेशालय – संयोजक अधिकारी परिषेकीय सहायक आयुक्त, हथकरथा एवं वस्त्रोद्योग – सदस्य <p>रेशम उद्योग से भिन्न वस्त्र इकाइयों हेतु</p> <ol style="list-style-type: none"> सम्बन्धित प्रबन्धक, निद्रा पावरलूम सर्विस सेन्टर – सदस्य <p>अथवा</p> <p>वस्त्रायुक्त द्वारा संचालित पावरलूम सर्विस सेन्टर के प्रभारी अधिकारी</p> <ol style="list-style-type: none"> परिषेकीय सहायक आयुक्त, हथकरथा एवं वस्त्रोद्योग – संयोजक अधिकारी 													
2	प्रारूप-6 प्रारूप-7	<p>टेक्सटाइल पार्क हेतु</p> <ol style="list-style-type: none"> अधिकारी अभियन्ता, पौर्णपूर्णी – सदस्य सम्बन्धित प्रबन्धक, निद्रा पावरलूम सर्विस सेन्टर – सदस्य <p>अथवा</p> <p>सम्बन्धित सहायक निदेशक, वस्त्रायुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय अधिकारी</p> <ol style="list-style-type: none"> परिषेकीय सहायक आयुक्त, हथकरथा एवं वस्त्रोद्योग – संयोजक अधिकारी 													
3	प्रारूप-8	औद्योगिक इकाइयों के सम्बन्ध हेतु													

			प्रारूप-9	<p>1. सम्बन्धित प्रबन्धक, निट्रा पावरलूम सर्विस सेन्टर – सदस्य अथवा सम्बन्धित सहायक निदेशक, वस्त्रायुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय अथवा वस्त्रायुक्त द्वारा संचालित पावरलूम सर्विस सेन्टर के प्रभारी अधिकारी</p> <p>2. परिषेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग – संयोजक</p>
4			प्रारूप-10	<p>प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु एन०जी०ओ०</p> <p>1. सम्बन्धित प्रबन्धक, निट्रा पावरलूम सर्विस सेन्टर – सदस्य अथवा सम्बन्धित सहायक निदेशक, वस्त्रायुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय अथवा वस्त्रायुक्त द्वारा संचालित पावरलूम सर्विस सेन्टर के प्रभारी अधिकारी</p> <p>2. परिषेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग – संयोजक</p>
5			प्रारूप-11	<p>भारत सरकार से सहायता प्राप्त वलस्टरों में राज्य सरकार द्वारा गैप फिलिंग</p> <p>1. प्रभारी अधिकारी, सम्बन्धित बुनकर सेवा केन्द्र – सदस्य</p> <p>2. परिषेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग – संयोजक</p>
6			प्रारूप-12 प्रारूप-13	<p>कताई-बुनाई विषय के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं सम्बन्धित कालेजों को अनुदान</p> <p>1. सम्बन्धित जनपद के डी०आई०ओ०एस० – सदस्य</p> <p>2. परिषेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग – संयोजक</p>
7			प्रारूप-14 प्रारूप-15	<p>हथकरघा बुनकर सहायकी समितियाँ</p> <p>1. प्रभारी अधिकारी, सम्बन्धित बुनकर सेवा केन्द्र – सदस्य</p> <p>2. परिषेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग – संयोजक</p>

2— हथकरघा एवं पावरलूम बुनकरों से सम्बन्धी वित्तीय सुविधाओं तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम वस्त्र उद्यम इकाईयों को अनुमन्य वित्तीय सुविधाओं के अनुमोदन हेतु राज्यस्तरीय कमेटी की सदस्य संरचना

1	आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ०प्र०, कानपुर	अध्यक्ष
2	आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, उ०प्र० द्वारा नामित प्रतिनिधि के रूप में अपर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग	सदस्य
3	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य हथकरघा निगम लिं०, कानपुर	सदस्य
4	प्रबन्ध निदेशक, यूपिका, कानपुर	सदस्य
5	निदेशक, उ०प्र० वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	सदस्य
6	प्रबन्धक, निट्रा पावरलूम सर्विस सेन्टर, कानपुर	
7	वित्त नियन्त्रक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ०प्र०, कानपुर	सदस्य
8	संयुक्त आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ०प्र०।	सदस्य
9	योजनाधिकारी, वस्त्र नीति क्रियान्वयन, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग	संयोजक

		निदेशालय, उ०प्र०।	सदस्य
		3— वृहद, मेगा एवं सुपर मेगा वस्त्र औद्योगिक उपकरण हेतु गठित शासकीय स्वीकृति समिति वृहद वस्त्र औद्योगिक इकाईयों मेंगा एवं सुपर वस्त्र औद्योगिक इकाईयों टेक्सटाइल पार्क एवं औद्योगिक आरथन हेतु उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल, एवं गारमेन्टिंग पालिसी— 2017 में अनुमन्य सुविधाओं के स्वीकृति हेतु प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, वस्त्रोद्योग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में एक शासकीय स्वीकृति समिति गठित की जायेगी जिनके सदस्य निम्नवत् होंगे :—	
		I. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन	
		II. प्रमुख सचिव, वित्त, उ०प्र० शासन	
		III. प्रमुख सचिव, न्याय, उ०प्र० शासन	
		IV. प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ०प्र० शासन	
		V. सम्बन्धित विभाग/प्राधिकरण/संरक्षा के प्रमुख सचिव जिनसे वित्तीय प्रोत्साहन प्रार्थित है।	
		VI. आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, संयोजक	
		VII. पी०एम०ए० के पदाधिकारी, सहसंयोजक	
3		इम्पार्ड कमेटी की सदस्य संरचना— ऐसी सुविधायें जो वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति—2017 में अनुमन्य नहीं हैं अथवा वित्तीय सुविधा की मांग इकाई द्वारा अनुमन्य सुविधा से अधिक अथवा अतिरिक्त की गयी है अथवा अन्य राज्यों में अनुमन्य सुविधाओं की भाँति अतिरिक्त सुविधाओं की मांग की गयी है। इकाई की मांग औचित्यपूर्ण पाये जाने पर निर्णय हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इम्पार्ड कमेटी का गठन किया जायेगा। इम्पार्ड कमेटी की सदस्य संरचना निम्नवत् है :—	
		1 मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन	अध्यक्ष
		2 प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य
		3 प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य
		4 प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य
		5 प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य
		6 प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, उद्योग विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य
		7 प्रमुख सचिव, वस्तु एवं सेवाकर, उ०प्र० शासन	सदस्य
		8 प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन, उ०प्र० शासन	सदस्य
		9 प्रमुख सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य
		10 सम्बन्धित विभाग/प्राधिकरण/संरक्षा के प्रमुख सचिव, जिनसे वित्तीय प्रोत्साहन प्रार्थित है।	सदस्य
		11 आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उ०प्र०, कानपुर	प्रस्तावक/सदस्य
		12 पी०एम०ए० के पदाधिकारी	सहसंयोजक
		... इम्पार्ड कमेटी की बैठक में आवश्यकतानुसार अन्य अधिकारियों को भी भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जायेगा।	
9	विविध	● इस नीति के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाली सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम वस्त्र उद्योग की इकाईयों को समस्त प्रकार की छूट, प्रतिपूर्ति, अनुदान आदि कुल मिलाकर पूर्ण स्थायी पूँजीगत निवेश (Fixed	

		<p>capital investment) (भूमि, बिल्डिंग, अन्य निर्माण, प्लान्ट एवं मशीनरी व विविध स्थायी निर्माण) के 120 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। पूर्वान्वय एवं बुन्देलखण्ड में स्थापित वस्त्र उद्योग की मेंगा एवं सुपर मेंगा श्रेणी की इकाईयों हेतु 300 प्रतिशत तथा मध्यान्वय में 200 प्रतिशत, परिवासांचल (जी.बी. नगर को छोड़कर) में 100 प्रतिशत तथा गौतम्भुद्धनगर जनपद में स्थापित होने वाली इकाईयों हेतु यह सीमा 80 प्रतिशत होगी।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● नीति में वर्णित सुविधायें वस्त्रोद्योग के अन्तर्गत स्थापित होने वाली नई इकाईयों के साथ-साथ विस्तारीकरण/विविधीकरण इकाईयों पर भी लागू होगी। विस्तारीकरण/विविधीकरण करने वाली इकाई का तात्पर्य ऐसी इकाई से है, जिसके द्वारा विस्तारीकरण/विविधीकरण के ठीक पूर्व भूमि, भवन, प्लान्ट, मशीनरी एवं स्पेयर पार्ट्स एवं कैपिटल गुड्स में किये गये निवेश का न्यूनतम 25 प्रतिशत अतिरिक्त पूँजी निवेश उपरोक्त मदों में किया जाए तथा विस्तारीकरण/विविधीकरण से पूर्व की अधिष्ठापित क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाए। ● यह स्पष्ट है कि नीति में वर्णित सभी सुविधायें भारत सरकार की TUFs तथा अन्य योजनाओं से प्राप्त सुविधाओं के अतिरिक्त होंगी। ● प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र ऐसे व्यक्ति, जो वस्त्रोद्योग इकाईयों/वस्त्रोद्योग पार्क बनाने वाली SPV और प्लग एण्ड प्ले सुविधा देने वाली एजेन्सियों द्वारा पहले ही अनुबन्धित कर लिये जायेंगे, के लिये PMAY आवास उपलब्ध करने हेतु विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद को प्रोत्साहित किया जायेगा।
10	आवेदन का प्रारूप	नीति के अन्तर्गत अनुमन्य सुविधायें प्राप्त करने हेतु आवेदनों के <u>प्रारूप-1 से 17 (ब)</u> तक संलग्न हैं एवं सम्बन्धित अनुलग्नक-1 से 4 तक संलग्न हैं।
11	टिप्पणी	उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेन्टिंग पॉलिसी-2017 कियान्वयन नियमावली अलग से प्रख्यापित की जायेगी।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

 (मुकुल सिंह)
 अपर मुख्य सचिव।

पुष्टांकन संख्या—344(1)/63—व०उ०—२०१८, तददिनांक—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- 1— महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2— मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3— समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
- 4— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 5— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6— आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, उ०प्र० कानपुर।
- 7— निदेशक, रेशम निदेशालय, लखनऊ।
- 8— निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 9— अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, माल एवेन्यू, लखनऊ।
- 10— निदेशक, फिककी, फेडरेशन हाऊस, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली।
- 11— महासचिव, एसोचेम यू०पी०, 2/302, विकास खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 12— सी०आ०आ०आ०, प्लाट-ए, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 13— आ०आ० आ० ए०, विभूति खण्ड, टाऊन सेन्टर फेज-।।, निकट अपना बाजार, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 14— क्लाथ मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन आफ इण्डियॉ, गुरुग्राम, हरियाणा।
- 15— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(ब्रौं पौं मिश्र)
उप सचिव।

प्रारूप-1

उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र

(सूक्ष्म/लघु/मध्यम/वृहद वस्त्र औद्योगिक उपकरणों के लिए)

(सभी सहायक अभिलेखों को आवेदन द्वारा अपनी ओर से विधिवत रूप से प्राधिकृत निदेशक/साझेदार/अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिये)

आवेदन पत्र का क्रमांक (परिस्केत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिस्केत्र का कोड	जनपद कोड	आवेदन का क्रमांक	प्राप्ति का दिनांक

पूँजीगत निवेश और परियोजना स्थल के आधार पर आवेदन किए गए वस्त्र औद्योगिक उपकरण की श्रेणी

(अ) निवेश के लिए मापदंड

	सूक्ष्म वस्त्र इकाई	लघु वस्त्र इकाई	मध्यम वस्त्र इकाई	वृहद वस्त्र इकाई	
				पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड	प्रदेश के अन्य भागों में
	25 लाख रु0 से कम	25 लाख रु0 से अधिक किन्तु अधिकतम 5 करोड़ रुपये	5 करोड़ रु0 से अधिक किन्तु अधिकतम 10 करोड़ रुपये	रु0 10 करोड़ से अधिक किन्तु रु0 50 करोड़ से कम	रु0 10 करोड़ से अधिक किन्तु रु0 75 करोड़ से कम
निवेश की राशि (रु0)					
जनपद/क्षेत्र					

क्रमांक	विवरण	ब्योरा	सम्बन्धित सहायक दस्तावेज
1	आवेदक का नाम/पता एवं सम्पर्क विवरण		निगमीकरण प्रमाणपत्र, पंजीकृत भागीदारी विलेख, न्यास/सोसायटी पंजीकरण विलेख। (संलग्नक पृष्ठ क्रमांक)
2	आवेदक का संघटन (कानूनी व्यवस्था)		कम्पनी/भागीदारी फर्म/अन्य (संगम अनुच्छेद (MOA)/अनुच्छेद/उप-नियम आदि) (संलग्नक पृष्ठ क्रमांक)
3	मौजूदा/प्रस्तावित औद्योगिक उपकरण का परियोजना स्थल		
4	निदेशकों/भागीदारों/अन्य के नाम/पता एवं सम्पर्क विवरण		पैन और डिन नं0 (सम्बन्धित दस्तावेजों द्वारा समर्थित) (संलग्नक पृष्ठ क्रमांक)
5	आवेदक की जीएसटीआईएन		सम्बन्धित दस्तावेजों द्वारा समर्थित (संलग्नक पृष्ठ क्रमांक)
6	वस्त्र औद्योगिक उपकरण की प्रकृति		(नगा/विस्तारीकृत/विविधिकृत)
7	वस्त्र उद्योग की श्रेणी		आईडी एंड आर अधिनियम/ इनआईसी के अनुसार औद्योगिक श्रेणीकरण
8	वस्त्र औद्योगिक उपकरण की स्थापना के लिए पंजीकरण या अनुज्ञा-पत्र		यूएसएम० (एमएसएम० के लिए)/आईएल/आईईएम (वृहद के लिए) की प्रति संलग्न करें। (संलग्नक पृष्ठ क्रमांक)
9	मौजूदा वस्त्र औद्योगिक उपकरणों (विस्तार/विविधिकरण)/प्रस्तावित वस्त्र औद्योगिक उपकरणों के मामले में :		

क्रमांक	वर्तमान उत्पाद	मौजूदा संस्थापित क्षमता	प्रस्तावित उत्पाद	प्रस्तावित संस्थापित क्षमता	मौजूदा सकल ब्लाक	प्रस्तावित सकल ब्लाक

	वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने की प्रस्तावित तारीख		
11	प्रस्तावित पैंजी निवेश		विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) संलग्न की जाये। (संलग्नक पृष्ठ क्रमांक)
11.1	वह तारीख जब से पैंजी निवेश आरम्भ किया गया है या आरंभ किया जाना प्रस्तावित है		
11.2	क्या पैंजी निवेश चरणों में किया जाना प्रस्तावित है		

12. आवेदक द्वारा प्रार्थित/आवेदित वित्तीय सुविधाओं का विवरण

क्रमांक	मद	राशि (₹)
12.1	समस्त वित्तीय सुविधाओं की कुल धनराशि (₹)	
12.2	आवेदित वित्तीय सुविधाओं का विवरण	
12.3	सरकारी एजेन्सियों द्वारा भूमि आवंटन में सक्षिप्ती	
12.4	स्टाम्प ड्यूटी से छूट	
12.4.1	10 प्रतिशत जीएसटी की अतिरिक्त प्रतिपूर्ति उन वस्त्र इकाईयों को, (पश्चिमांचल में स्थित वस्त्र औद्योगिक उपकरणों में 1000 से अधिक अथवा बुन्देलखण्ड, पूर्वाञ्चल एवं मध्याञ्चल में 750 से अधिक उ0प्र० के मूल निवासी श्रमिक हो) तथा न्यूनतम 25 प्रतिशत श्रमिक गरीबी रेखा से नीचे हों अथवा 50 प्रतिशत महिला श्रमिक हो अथवा 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कामगार हों) को देय होगी।	
12.5	पैंजीगत उपादान	
12.6	ब्याज उपादान	
12.6.1	0.5 अतिरिक्त ब्याज उपादान, उन वस्त्र इकाईयों को, जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग/महिला का न्यूनतम 75 प्रतिशत स्वामित्व हो	
12.7	मार्जिन मनी अनुदान	
12.7.1	अतिरिक्त 5 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान, अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को	
12.8	अवस्थापना ब्याज उपादान	
12.8.1	अतिरिक्त 2.5 प्रतिशत अवस्थापना ब्याज उपादान, उन वस्त्र इकाईयों को, जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग /महिला का न्यूनतम 75 प्रतिशत स्वामित्व हो	
12.9	कार्यशील पैंजी उपादान	
12.9.1	अतिरिक्त 2.5 प्रतिशत कार्यशील पैंजी उपादान, अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग/महिला हेतु।	
12.10	ई.पी.एफ. प्रतिपूर्ति (100 या इससे अधिक अकुशल कामगार)	
12.10.1	10 अतिरिक्त ई.पी.एफ. प्रतिपूर्ति (200 प्रत्यक्ष कुशल और अकुशल कामगार)	
12.11	माल-भाड़े की प्रतिपूर्ति	
12.12	कौशल विकास हेतु भारत सरकार की योजना में गैप फिलिंग अनुदान	
12.13	इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट	
12.14	मंडी शुल्क से छूट	



संलग्न सहायक दस्तावेजों का विवरण

क्र०	विवरण	संलग्नक पृष्ठ क्रमांक
13.1	यू.ए.एम./आई.इ.एम./आई.एल की पावती	
13.2	समस्त अनुसूचियों सहित इकाई के लेखा परीक्षित लेखे (चालू वित्त वर्ष के साथ-साथ पिछले पाँच वर्ष)	
13.3	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	
13.4	मौजूदा सकल परिसम्पत्तियों हेतु सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र	
13.5	सकल ब्लॉक के समर्थन में मौजूदा वस्त्र औद्योगिक उपकरण की स्थायी परिसम्पत्तियों की सनदी अभियंता द्वारा प्रमाणित सूची	
13.6	शपथपत्र (रु० 10 के स्टाप्प पेपर पर अनुलग्नक-1 के अनुसार)	

घोषणा

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी मे उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र-विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/हैं कि उ०प्र० वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मैं/हम जारी किए गये लाभों की तत्काल वापस कर दूँगा/देंगे।

संलग्नक :— उपरोक्तानुसार कुल पृष्ठ

तारीख:

स्थान:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

प्रारूप-2

उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आगामन-प्रपत्र
(सूक्ष्म/लघु/मध्यम/वृहद वस्त्र औद्योगिक उपकरणों के लिए)

आवेदन पत्र का क्रमांक (परिषेक्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिषेक्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)	परिषेक्रीय का कोड	जनपद कोड	आवेदन का क्रमांक						प्राप्ति का दिनांक

1- वितरण के स्तर पर जमा की जाने वाली सूचना एवं दस्तावेज़

क्रम सं	विवरण	ब्यौरा
1.1	आवेदक का नाम और पता	
1.2	मौजूदा/प्रस्तावित औद्योगिकउपकरण का परियोजनास्थल	
1.3	किए गये वास्तविक पूँजी निवेश का चरणबद्ध विवरण एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथियाँ (उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र अथवा सनदी लेखाकार (CA) का प्रमाण पत्र संलग्न करें)।	

2- वस्त्र औद्योगिक उपकरण में पात्र पूँजीगत निवेश का ब्यौरा

क्र०सं	मद	नया/मौजूदा	विस्तार/विविधिकरण	विस्तार/विविधिकरण के अधीन वृद्धि का प्रतिशत				
				1	2	3	4	5
i	भूमि							
ii	भवन							
iii	अन्य निर्माण							
iv	संयंत्र और मशीनरी							
v	अवस्थापना सुविधायें							
	कुल							

3- वस्त्र औद्योगिक उपकरण द्वारा किये गये पूँजीगत निवेश का विवरण (धनराशि लाख रु0 में)

क्रम सं	घटक	परियोजना लागत		वास्तविक पूँजी निवेश (विधानिक आडिट प्रमाण-पत्र के अनुसार)			कुल योग	
		डी.पी.आर. के अनुसार	एप्रेजल के अनुसार	कट आफ डेट के पूर्व	कट आफ डेट व वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि के मध्य (यदि चरणों में, तो चरणबद्ध पूँजी निवेश)	अंतिम चरण के वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से अब तक (पात्र पूँजी निवेश अवधि तक)	10 प्रतिशत	90 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i	भूमि एवं साइट डेवलपमेन्ट							
ii	भवन एवं सिविल वर्क्स							
iii	संयंत्र और मशीनरी							

i	विविध स्थायी परिसम्पत्तियाँ						
v	तकनीकी जानकारी (Technical knowhow) शुल्क						
vi	निर्भाण अधिक के दौरान ब्याज						
vii	प्रारम्भिक एवं संचालन पूर्व (prel. and pre-operative) के खर्चे						
viii	कार्यशील पूँजी हेतु मार्जिन मनी योग						
नोट :- कम संख्या (v), (vi), (vii) एवं (viii) में किया गया पूँजी अहं नहीं होगा।							

3.2 पूँजी निवेश के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज

संलग्नक पृष्ठ क्रमांक

i	पूँजीगत निवेश से सम्बन्धित दस्तावेज, नियमों/सरकारी आदेशों/एम०एस०एम०ई०डी० अधिनियम-2006 के प्राविधानों के अनुरूप पूँजीगत निवेश के लिये सनदी लेखाकार के प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न किये जायें	
ii	वृहद वस्त्र औद्योगिक उपकरण के मामले में निम्नलिखित दो रिपोर्टें (अ) नोडल एजेन्सी (पी०एम०ए०) के पैनल में शामिल सनदी लेखाकारों के माध्यम से शासनादेश के प्राविधान के अनुसार कम्पनी द्वारा किये गये पूँजीगत निवेश पर परीक्षण का प्रमाण-पत्र (ब) नोडल एजेन्सी (पी०एम०ए०) के पैनल में शामिल परामर्शदाताओं/मूल्यांकनकर्ताओं/इंजीनियर के माध्यम से साइट पर किये गये पूँजीगत निवेश (भूमि, भवन, संयंत्र तथा मशीनरी) के संस्थापन की जांच/सत्यापन आद्या	

4- सरकारी एजेन्सियों द्वारा भूमि आवंटन में सभिडी

क्र०	बिन्दु	विवरण	सम्बन्धित दस्तावेज
i	भूमि प्रदान करने वाली सरकारी संस्था का नाम व पता		भूमि क्य एवं परियोजना लागत से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज संलग्न करें।
ii	क्य की गयी भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)		
iii	सर्किल रेट के अनुसार क्य की गयी भूमि की कीमत		
iv	भूमि क्य कीमत के सापेक्ष देय सभिडी का प्रतिशत		भूमि क्य एवं परियोजना लागत से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज संलग्न करें। (संलग्नक पृष्ठ क्रमांक _____)
v	देय प्रतिशत के अनुसार सभिडी की धनराशि (रु०)		
vi	परियोजना लागत (रु०)		
vii	परियोजना लागत धनराशि का 5 प्रतिशत (रु०)		
viii	दावा धनराशि (बिन्दु v अथवा vii में वर्णित धनराशि, जो भी कम हो) (रु०)		

5- राज्य कर विभाग से छट (नीट जी०एस०टी० की प्रतिपृति)

5.1 जी०एस०टी० अधिनियम के अधीन अदा किये गये कर	विवरण	अपेक्षित दस्तावेज
i वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी जी.एस.टी.आई.एन.		संबंधित अधिक के लिए राज्य सरकार के खाते में प्राप्त
ii वित्तीय वर्ष _____ के लिए जमा किए गए जी.एस.टी.		

	के सापेक्ष कर की राशि (₹0)		जीएसटी के समर्थन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
iii	निर्मित उत्पाद के सापेक्ष जमा की गयी जीएसटी की राशि (₹0)		
iv	अवधि के दौरान जमा किये गये जीएसटी में से प्रतिपूर्ति हेतु पात्र राशि (₹0)		

5.2 इकाई द्वारा अदा किए गए जी.एस.टी. के समर्थन में अपेक्षित दस्तावेज		संलग्नक पृष्ठ क्रमांक
i	वाणिज्यिक कर विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।	
ii	संबंधित वित्तीय वर्ष के इकाई स्तरीय लेखा परीक्षित लेखे (जिसके लिए जीएसटी प्रतिपूर्ति का दावा किया जा रहा है)	
iii	कम्पनी के लिए संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए जीएसटी लेखा परीक्षा रिपोर्ट।	
iv	इकाई के लिए संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए जीएसटी लेखा परीक्षा रिपोर्ट, (सनदी लेखाकार, द्वारा प्रमाणित एकल (stand alone) एसजीएसटी विवरण/प्रतिवेदन)	
v	निर्मित माल/कारोबारी माल/कबाड़/स्टाक ट्रांसफर की बिक्री आदि के समाशोधन के लिए सी.ए. का प्रमाण पत्र और इनके सापेक्ष अलग अलग अदा किया गया जीएसटी	

6- पूँजीगत उपादान एवं ब्याज उपादान एवं मार्जिन मनी अनुदान

6.1 पूँजीगत उपादान/ब्याज उपादान सुविधा हेतु सम्बन्धित तथ्यों का विवरण					
क्र0	बिन्दु	विवरण	अपेक्षित दस्तावेज	संलग्नक पृष्ठ क्रमांक	
1	2	3	4	5	
i	बैंको/वित्तीय संस्थाओं का नाम और पता जिनसे ऋण प्राप्त किया गया		1. स्वीकृति पत्र, वित्तीय संस्था/बैंक के साथ करार	2. संयंत्र और मशीनरी के लिए ऋण प्रमाणित करने वाले बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण ब्याज एवं अन्य विवरण का प्रमाण पत्र। 3. सम्पूर्ण अवधि, जिसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है, के दौरान भुगतान में कोई चूक न होने संबंधी बैंक/वित्तीय संस्था का प्रमाण पत्र। 4. क्या की गयी संयंत्र और मशीनरी का विवरण (इन्वाइस सहित) 5. बैंक एप्रेजल रिपोर्ट	
ii	संयंत्र और मशीनरी में निवेश के लिए स्वीकृत ऋण की राशि				
iii	ब्याज की दर				
iv	स्वीकृति की तारीख				
v	वितरण की तारीख सहित संयंत्र और मशीनरी में निवेश के लिए वितरित ऋण की राशि				

6.2 लोन एकाउन्ट का विवरण						
क्र0	वित्तीय संस्था/ बैंक का नाम व पता	बैंक-शाखा का नाम	बैंक में ऋण खाता संख्या	खाताधारक का नाम	IFSC Code	वितरित ऋण की धनराशि (₹0)
1	2	3	4	5	6	7

6.3 पूँजीगत उपादान हेतु आगणन तालिका

परियोजना लागत धनराशि (रु.)	कार्यरत कर्मचारियों/ श्रमिकों की संख्या	देय वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा (रु.) (नीति के बिन्दु 3.5.4 के अनुसार)	प्लान्ट एवं मशीनरी की कुल लागत धनराशि (रु.)	देय पूँजीगत उपादान की धनराशि		दावा धनराशि (रु.) कालम 4 अथवा कालम 7 में वर्णित धनराशि, जो भी कम हो
				प्रतिशत में	(रु में) (कालम 5) X (कालम 6)	
1	2	4	5	6	7	7

6.4 ब्याज उपादान हेतु दावा धनराशि का आगणन

क्रम सं. 1	वर्ष जिसके लिए सब्सिडी का आवेदन किया गया	वर्ष के दौरान वित्तीय संस्था को किया गया भुगतान	ब्याज उपादान की अपेक्षित धनराशि				
			मूल धनराशि (रु.)	ब्याज (रु.)	7 % की दर से अपेक्षित/देय ब्याज उपादान धनराशि (रु.)	अतिरिक्त 0.5 % उपादान की धनराशि यदि देय हो (रु.)	कुल धनराशि (रु.) (कालम-5 एवं कालम-6 का योग)
2	3	4	5	6	7	8	
1. वर्ष-I ()							
2. वर्ष-II ()							
3. वर्ष-III ()							
4. वर्ष-IV ()							
5. वर्ष-V ()							
6. वर्ष-VI ()							
7. वर्ष-VII ()							
कुल							

6.5 मार्जिन मनी वित्तीय सहायता हेतु आगणन तालिका

(रेशम उद्योग यथा :-चाकी कीट पालन, कोया उत्पादन, रीलिंग एवं स्पिनिंग हेतु)

बैंक अप्रेजल के अनुसार पूँजी निवेश (रु.)	अजा/अजजा के अतिरिक्त अन्य उद्यमियों को देय 15 प्रतिशत के अनुसार मार्जिन मनी दावा धनराशि (रु.)	अजा/अजजा उद्यमियों को देय 20 प्रतिशत के अनुसार मार्जिन मनी दावा धनराशि (रु.)
1	2	3

7- अवस्थापना ब्याज उपादान की वित्तीय सुविधा का आगणन

7.1 अवस्थापना ब्याज उपादान सुविधा हेतु सम्बन्धित तथ्यों का विवरण	बिन्दु	विवरण	अपेक्षित दस्तावेज	संलग्नक पृष्ठ क्रमांक
1	2	3	4	5
i बैंकों/वित्तीय संस्थाओं का नाम और पता जिनसे ऋण प्राप्त किया गया			1. स्वीकृति पत्र, वित्तीय संस्था/बैंक के साथ करार 2. संयंत्र और मशीनरी के लिए ऋण प्रमाणित करने वाले बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण ब्याज एवं अन्य विवरण का प्रमाण पत्र।	
ii अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण की धनराशि			3. सम्पूर्ण अवधि, जिसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है, के दौरान भुगतान में कोई चूक न होने संबंधी बैंक/वित्तीय संस्था का प्रमाण पत्र।	
iii ब्याज की दर			4. अवस्थापना सुविधाओं का विवरण (व्यय धनराशि, इच्छाइस, बिल—वाउचर सहित)	
iv स्वीकृति की तारीख			5. बैंक एप्रेजल रिपोर्ट	
v संयंत्र और मशीनरी में ऋण निवेश की राशि विवरण की तारीखों सहित				

7.2 अवस्थापना ब्याज उपादान हेतु दावा धनराशि का आगणन						
क्रम सं०	वर्ष जिसके लिए सब्सिडी का आवेदन किया गया	वर्ष के दौरान वित्तीय संस्था को किया गया भुगतान		अवस्थापना ब्याज उपादान की अपेक्षित धनराशि		
		मूल धनराशि (रु०)	ब्याज (रु०)	5 % की दर से अपेक्षित/देय ब्याज उपादान धनराशि (रु०)	अतिरिक्त 25 % उपादान की धनराशि यदि देय हो (रु०)	कुल धनराशि (रु०) (कालम-5 एवं कालम-6 का योग)
1	2	3	4	5	6	7
A	आवेदित वर्ष में देय दावा धनराशि की गणना					
	वर्ष-I ()					
	वर्ष-II ()					
	वर्ष-III ()					
	वर्ष-IV ()					
	वर्ष-V ()					
					योग (समग्र धनराशि)	
B	विगत वर्षों में प्राप्त कुल धनराशि (रु०)					
C	प्रस्तर A व B में वर्णित धनराशियों का योग					
D	अतिरेक धनराशि (रु०) (Excess Amount) की गणना					
	1. यदि प्रस्तर C में वर्णित धनराशि ८० एक करोड़ से कम है, तो अतिरेक धनराशि शून्य होगी।					
	2. यदि प्रस्तर C में वर्णित धनराशि ८० एक करोड़ से अधिक है, तो अतिरेक धनराशि की गणना निम्नवत् की जायेगी :- अतिरेक धनराशि = (प्रस्तर C में वर्णित धनराशि) - (८० एक करोड़)					
E	देय दावा धनराशि (रु०) (प्रस्तर A में वर्णित धनराशि) - (प्रस्तर D में वर्णित धनराशि)					

7.3 अवस्थापना ब्याज उपादान से सम्बन्धित लोन एकाउन्ट का विवरण						
क्र०	वित्तीय संस्था/ बैंक का नाम व पता	बैंक-शाखा का नाम	बैंक में ऋण खाता संख्या	खाताधारक का नाम	IFSC Code	वितरित ऋण की धनराशि (रु०)
1	2	3	4	5	6	7

8- कार्यशील पूँजी उपादान :-

8.1 कार्यशील पूँजी उपादान से सम्बन्धित तथ्य				
क्र०	बिन्दु	विवरण	अपेक्षित दस्तावेज	संलग्नक पृष्ठ क्रमांक
i	बैंक/वित्तीय संस्था का नाम व पता		1. स्वीकृति पत्र, वित्तीय संस्था/बैंक के साथ करार 2. कार्यशील पूँजी के लिए ऋण प्रमाणित करने वाले बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण ब्याज एवं अन्य विवरण का प्रमाण पत्र। 3. सम्पूर्ण अवधि, जिसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है, के दौरान भुगतान में कोई चूक न होने संबंधी बैंक/वित्तीय संस्था का प्रमाण पत्र।	
ii	कार्यशील पूँजी हेतु स्वीकृत सी०सी०एल० धनराशि (रु०)			
iii	स्वीकृत ब्याज दर			

iv	वितरित ऋण की धनराशि (₹०)		4. अवस्थापना सुविधाओं का विवरण (व्यय धनराशि, इन्वाइस, बिल-वाउचर सहित) 5. बैंक एप्रेजल रिपोर्ट	
v	वितरित ऋण के सापेक्ष बैंक में जमा की गयी व्याज की धनराशि (₹०)			

8.2 कार्यशील पूँजी हेतु बैंक में लोन एकाउन्ट का विवरण						
क्र०	वित्तीय संस्था/ बैंक का नाम व पता	बैंक-शाखा का नाम	बैंक में ऋण खाता संख्या	खाताधारक का नाम	IFSC Code	वितरित ऋण की धनराशि (₹०)
1	2	3	4	5	6	7

9- ई०पी०एफ० की प्रतिपूर्ति

9.1	प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त श्रमिकों की संख्या			अपेक्षित दस्तावेज	संलग्नक पृष्ठ क्रमांक
9.2	क्या इकाई भारत सरकार की ई०पी०एफ० स्कीम रिफार्स / प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 03 वर्ष तक ई०पी०एफ० प्रतिपूर्ति की सहायता प्राप्त कर चुकी है। (यदि हाँ, तो ऐसी इकाईयों को 02 अतिरिक्त वर्षों तक देय)			1. मुख्य प्रोत्साहक / प्राधिकृत की ओर से इस आशय का शपथ पत्र कि उपर्युक्त सभी विवरण सत्य है और इकाई में संबंधित वर्ष की पूर्ण अवधि के लिए श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराया गया है, जिसके लिए प्रतिपूर्ति का आवदेन किया गया है। 2. कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत प्रपत्र-12 की प्रति। 3. ई.पी.एफ.ओ. या कर्मचारी के भविष्य निधि न्यास में अदा किए गये अशदानों का महीना-वार व्यौरा जिसे ईपीएफओ के संबंधित सक्षम अधिकारी / न्यास के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।	
9.3	विगत वर्षों में यदि ई०पी०एफ० प्रतिपूर्ति प्राप्त की गयी है, तो उसका वर्षवार विवरण	दावा वर्ष	धनराशि		
9.4	आवेदित वर्ष में किस दावा वर्ष हेतु प्रतिपूर्ति की मांग की गयी है ?				
9.5	दावा वित्तीय वर्ष में नियोक्ता अंशदान की धनराशि (₹०)				
9.6	देय प्रतिपूर्ति का प्रतिशत (100 से अधिक तथा 200 तक प्रत्यक्ष रोजगार वाली इकाई को नियोक्ता अंश का 50 प्रतिशत) (200 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार वाली इकाई को नियोक्ता अंश का 60 प्रतिशत)				
9.7	देय प्रतिपूर्ति की दावा धनराशि (₹०)				

10- माल-भाड़े की प्रतिपूर्ति

(प्रतिपूर्ति हेतु उसी माल-भाड़े की धनराशि को सम्मिलित किया जाये, जो सीधा इकाई से पोर्ट तक कम दूरी के रास्ते से वहन किया गया हो एवं उसका निर्यात किया गया हो)

10.1 माल भाड़ा प्रतिपूर्ति का आगणन					
क्र	दावा वर्ष का क्रमांक (प्रथम/द्वितीय /तृतीय/चतुर्थ /पंचम)	सम्बन्धित वित्तीय वर्ष	इकाई से पोर्ट तक चुकाये माल भाड़ा की कुल धनराशि (₹0)	देय प्रतिपूर्ति का आगणन	
				प्रतिशत में	दावा धनराशि (₹0)
1	2	3	4	5	6
					योग

10.2 माल-भाड़ा प्रतिपूर्ति हेतु अपेक्षित दस्तावेज		
	दस्तावेज का विवरण	संलग्नक पृष्ठ क्रमांक
i	शिपमेन्ट बिल की प्रति कस्टम विभाग द्वारा सत्यापित	
ii	कन्टेनर डिपो के बिल की प्रति	
iii	कस्टम विलयरेन्स सार्टिफिकेट की प्रति	
iv	आयात निर्यात कोड (IEC) की प्रति	
V	उ0प्र० निर्यात प्रोत्साहन व्यूरो के पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति	
vi	चुकाये गये माल-भाड़े की रसीद	

11- कौशल विकास हेतु भारत सरकार की योजना में गैप फिलिंग अनुदान

11.1 कौशल विकास हेतु भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता की कुल धनराशि (₹0)		अपेक्षित दस्तावेज (भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के साथ संलग्न पृष्ठ क्रमांक	
11.2 गैप फिलिंग अनुदान की गणना		देय अधिकतम वित्तीय सहायता	
इकाई द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत प्रोजेक्ट की कुल लागत (₹0)		प्रतिशत के आधार पर	
भारत सरकार से प्राप्त कुल वित्तीय सहायता (₹0)	अवशेष प्रतिशत घटायें (100 प्रतिशत) - (कालम 3 में अंकित प्रतिशत)	प्रतिशत में (25 प्रतिशत अथवा कालम-3 में वर्णित प्रतिशत, जो भी कम हो	प्रशिक्षित एवं इकाई में रोजगार प्राप्त कर्मचारियों की संख्या के आधार पर
कुल प्रोजेक्ट लागत के सापेक्ष वित्तीय सहायता का प्रतिशत		X	कर्मचारियों की संख्या ₹ 3300/- की दर से देय अधिकतम धनराशि (₹0)
2	3	4	5
			6
			7
			8
			9

संलग्न अन्य दस्तावेजों का विवरण क्र0	दस्तावेज का विवरण	संलग्नक पृष्ठ क्रमांक
12.1	गरीबी रेखा से नीचे के कामगारों का विवरण, समर्थक दस्तावेजों सहित (कर्मचारी विशिष्ट संख्याएं, ईपीएफओ संख्या, बीपीएल कार्ड, कर्मचारी वेतन सूची (पे रोल) आदि)	
12.2	अनुसूचित जाति/जनजाति के कामगारों का विवरण समर्थक दस्तावेजों और कर्मचारी पे रोल सहित	
12.3	महिला कामगारों का विवरण कर्मचारी पे रोल सहित	
12.4	दिव्यांग श्रमिकों का विवरण कर्मचारी पे रोल सहित	
12.5	प्राप्त की गई स्टाम्प ड्यूटी छूट की विस्तृत गणना	
12.6	प्राप्त की गई मण्डी शुल्क छूट की विस्तृत गणना	
12.7	प्राप्त की गई विद्युत शुल्क छूट की विस्तृत गणना	

घोषणा

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी ने उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र-विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवदेन नहीं किया है।

मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/है कि उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेन्टिंग पॉलिसी –2017 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मैं/हम जारी किए गए लाभों की तत्काल वापसी कर देंगे।

संलग्नक :— उपरोक्तानुसार कुल पृष्ठ

स्थान:

दिनांक:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम,पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

प्रारूप-3

उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र

(मेगा / सुपर मेगा वस्त्र औद्योगिक उपकर्मों के लिए)

(सभी सहायक अभिलेखों को आवेदक द्वारा अपनी ओर से विधिवत रूप से प्राधिकृत निदेशक / साझेदार / अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिये)

आवेदन पत्र का क्रमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिक्षेत्र का कोड	जनपद कोड	आवेदन का क्रमांक	प्राप्ति का दिनांक

1. पूँजीगत निवेश / परियोजना स्थल/प्रस्तावित रोजगार के आधार पर आवेदन किए गए वस्त्र औद्योगिक उपकर्म की श्रेणी

(अ) क्षेत्रीय निवेश के आधार (पूँजी निवेश जैसा कि उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग पॉलिसी-2017 में परिभाषित है)				
	पूर्वान्वय एवं बुन्देलखण्ड	प्रदेश के अन्य भाग	वस्त्र इकाई की श्रेणी	जहाँ लागू हो सही का विन्ह लगायें
वृहद वस्त्र औद्योगिक उपकर्मों के लिये निर्धारित निवेश राशि से अधिक एवं रु0 करोड़ तक	रु0 50 करोड़ से रु0 75 करोड़ तक	रु0 75 करोड़ से रु0 125 करोड़ तक	मेगा	
	रु0 75 करोड़ से अधिक	रु0 125 करोड़ से अधिक	सुपर मेगा	

अथवा

	पूर्वान्वय एवं बुन्देलखण्ड		प्रदेश के अन्य भागों में		वस्त्र इकाई की श्रेणी	जहाँ लागू हो सही का विन्ह लगायें	इकाई में वास्तविक रोजगार सृजन अकित करें।
	गारमेन्टिंग इकाईयों हेतु	अन्य वस्त्र इकाईयों	गारमेन्टिंग इकाईयों हेतु	अन्य वस्त्र इकाईयों			
इकाई में रोजगार सृजन (श्रमिकों की संख्या),	1000	500	1500	750	मेगा		
	1500	750	2000	1000	सुपर मेगा		

क्र०सं०	विवरण	ब्यौरा	सम्बन्धित सहायक दस्तावेज			
2	आवेदक का नाम/पता एवं सम्पर्क विवरण		निरगमन प्रमाणपत्र, पंजीकृत साझेदारी अनुबन्ध, ट्रस्ट/सोसायटी पंजीकरण विलेख। (संलग्नक पृष्ठ क्रमांक)			
3	आवेदक का संघटन (कानूनीट्यूशन)		कम्पनी/भागीदारी फर्म/अन्य (संगम अनुच्छेद (MOA)/अनुच्छेद/उष-नियम आदि) (संलग्नक पृष्ठ क्रमांक)			
4	वर्तमान/प्रस्तावित वस्त्र औद्योगिक उपकरण का परियोजना स्थल					
5	निदेशकों/साझेदारों/ अन्य के नाम/पता एवं सम्पर्क विवरण		ऐन और डिन नं० (सम्बन्धित दस्तावेजों द्वारा समर्थित) (संलग्नक पृष्ठ क्रमांक)			
6	आवेदक वस्त्र इकाई की जीएसटीआईएन		सम्बन्धित दस्तावेजों द्वारा समर्थित (संलग्नक पृष्ठ क्रमांक)			
7	वस्त्र औद्योगिक उपकरण की प्रकृति		(नया/विस्तारीकृत/विविधिकृत)			
8	वस्त्र उद्योग की श्रेणी		आईडी एंड आर अधिनियम/ एनआईसी के अनुसार औद्योगिक श्रेणीकरण			
9	वस्त्र औद्योगिक उपकरण की स्थापना के लिए पंजीकरण या अनुज्ञाप्ति		आईएल/आईईएम की प्रति संलग्न करें (संलग्नक पृष्ठ क्रमांक)			
10	निर्भित किये जाने वाले वर्तमान प्रस्तावित उत्पादों का विवरण एवं उनकी क्षमता (वाह्य सलाहकार/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा तैयार की गयी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संलग्न करें) (संलग्नक पृष्ठ क्रमांक)					
क्र०सं०	वर्तमान उत्पाद	वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता	प्रस्तावित उत्पाद	प्रस्तावित अधिष्ठापित क्षमता	वर्तमान सकल ब्लाक	प्रस्तावित सकल ब्लाक
11	(i) वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने की तारीख (ii) विस्तारीकृत/विविधीकृत इकाई के सन्दर्भ में न्यूनतम 25% विस्तारित/विविधीकृत वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने की तारीख					
12	प्रस्तावित पूँजी निवेश				1. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) संलग्न की जाये। (संलग्नक पृष्ठ क्रमांक) 2. आई.इ.एम. का भाग-2/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण-पत्र (संलग्नक पृष्ठ क्रमांक)	
12.1	वह तारीख जब से पूँजी निवेश आरम्भ किया गया है या आरंभ किया जाना प्रस्तावित है					
12.2	क्या पूँजी निवेश चरणों में किया जाना प्रस्तावित है					

13. आवेदक द्वारा प्रार्थित/निवेदित वित्तीय सुविधाओं का विवरण

क्र०सं०	मद	राशि (₹०)
13.1	समस्त वित्तीय सुविधाओं की कुल धनराशि (₹०)	
	आवेदित वित्तीय सुविधाओं का विवरण	
13.2	सरकारी एजेन्सियों द्वारा भूमि आवंटन में सम्भिली	
13.3	स्टाम्प ड्यूटी से छूट	
13.4	राज्य कर विभाग से छूट (नेट स्टेट जीएसटी की प्रतिपूर्ति)	
13.4.1	10 प्रतिशत जीएसटी की अतिरिक्त प्रतिपूर्ति उन वस्त्र इकाईयों को, (पश्चिमांचल में स्थित वस्त्र औद्योगिक उपकरणों में 1000 से अधिक अथवा बुन्देलखण्ड, पूर्वाञ्चल एवं मध्याञ्चल में 750 से अधिक उ०प्र० के मूल निवासी श्रमिक हों) तथा न्यूनतम 25 प्रतिशत श्रमिक गरीबी रेखा से नीचे हों अथवा 50 प्रतिशत महिला श्रमिक हो अथवा 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कामगार हों) को देय होगी।	
13.5	पैंजीगत उपादान	
13.6	ब्याज उपादान	
13.6.1	0.5 अतिरिक्त ब्याज उपादान, उन वस्त्र इकाईयों को, जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग/महिला का न्यूनतम 75 प्रतिशत स्वामित्व हो	
13.7	मार्जिन मनी अनुदान	
13.7.1	अतिरिक्त 5 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान, अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को	
13.8	अवस्थापना ब्याज उपादान	
13.8.1	अतिरिक्त 2.5 प्रतिशत अवस्थापना ब्याज उपादान, उन वस्त्र इकाईयों को, जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग/महिला का न्यूनतम 75 प्रतिशत स्वामित्व हो	
13.9	कार्यशील पैंजी उपादान	
13.9.1	अतिरिक्त 2.5 प्रतिशत कार्यशील पैंजी उपादान, अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग/महिला हेतु।	
13.10	ई.पी.एफ. प्रतिपूर्ति (100 या इससे अधिक अकुशल कामगार)	
13.10.1	10 अतिरिक्त ई.पी.एफ प्रतिपूर्ति (200 प्रत्यक्ष कुशल और अकुशल कामगार)	
13.11	माल-भाड़े की प्रतिपूर्ति	
13.12	कौशल विकास हेतु भारत सरकार की योजना में गैप फिलिंग अनुदान	
13.13	रोजगार सृजन अनुदान	
13.14	इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट	
13.15	मंडी शुल्क से छूट	

संलग्न सहायक दस्तावेजों का विवरण

क्र०	विवरण	संलग्नक पृष्ठ क्रमांक
14.1	आई.इ.एम./आई.एल की पावती	
14.2	वाह्य सलाहकार/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा तैयार की गयी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	
14.3	समस्त अनुसूचियों सहित इकाई के लेखा परीक्षित लेखे (चालू वित्त वर्ष के साथ-साथ पिछले पाँच वर्ष)	
14.4	मौजूदा सकल परिस्पत्तियों हेतु सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र	
14.5	सकल ब्लॉक के समर्थन में मौजूदा वस्त्र औद्योगिक उपकरण की स्थायी परिस्पत्तियों की सनदी अभियंता द्वारा प्रमाणित सूची	
14.6	शपथपत्र (रु0 10 के स्टाम्प पेपर पर अनुलग्नक के अनुसार)	
14.7	निर्धारित प्रारूप-4 पर आगणन सम्बन्धी प्रपत्र	

घोषणा

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी में उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र-विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/हैं कि उ0प्र० वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मैं/हम जारी किए गये लाभों की तत्काल वापस कर दूँगा/देंगे।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार कुल पृष्ठ

तारीख:

स्थान:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

प्रारूप-4

उ0प्र0 वस्त्र एवं गरमेन्टिंग नीति-2017 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आगणन-प्रपत्र
(मेगा / सुपर मेगा वस्त्र औद्योगिक उपकरणों के लिए)

आवेदन पत्र का क्रमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिक्षेत्र का कोड	जनपद कोड	आवेदन का क्रमांक	प्राप्ति का दिनांक

1- वितरण के स्तर पर जमा की जाने वाली सूचना एवं दस्तावेज़

क्रम सं०	विवरण	ब्यौरा
1.1	आवेदक का नाम और पता	
1.2	मौजूदा / प्रस्तावित औद्योगिकउपकरण का परियोजनास्थल	
1.3	किए गये वास्तविक पूँजी निवेश का चरणबद्ध विवरण एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथियाँ (उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र अथवा सनदी लेखाकार (CA) का प्रमाण पत्र संलग्न करें)।	

2- वस्त्र औद्योगिक उपकरण में पात्र पूँजीगत निवेश का ब्यौरा

क्रमसं०	मद	नया/मौजूदा	विस्तार/विविधिकरण	विस्तार/विविधिकरण के अधीन वृद्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5
i	भूमि			
ii	भवन			
iii	अन्य निर्माण			
iv	संयंत्र और मशीनरी			
v	अवस्थापना सुविधायें			
	कुल			

3- वस्त्र औद्योगिक उपकरण द्वारा किये गये पूँजीगत निवेश :-

क्रम सं०	घटक	परियोजना लागत	वास्तविक पूँजी निवेश (विभानिक आडिट प्रमाण-पत्र के अनुसार)				कुल योग	
			डी.पी.आर. के अनुसार	एप्रेजल के अनुसार	कट आफ डेट के पूर्व	कट आफ डेट व वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि के मध्य (यदि चरणों में, तो चरणबद्ध पूँजी निवेश)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i	भूमि एवं साइट डेवलपमेन्ट							

ii	भवन एवं सिविल वर्कर्स						
iii	संयंत्र और मशीनरी						
iv	विविध स्थायी परिसम्पत्तियाँ						
v	तकनीकी जानकारी (Technical knowhow) शुल्क						
vi	निर्माण अवधि के दौरान ब्याज						
vii	प्रारम्भिक एवं संचालन पूर्व (prel. and pre- operative) के खर्च						
viii	कार्यशील पूँजी हेतु मार्जिन मनी योग						
नोट :- कम संख्या (v), (vi), (vii) एवं (viii) में किया गया पूँजी अर्ह नहीं होगा।							

3.2 पूँजी निवेश के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज		संलग्नक पृष्ठ क्रमांक
i	क्य मूल्य को दर्शाता पंजीकृत अभिलेख (रजिस्ट्री)	
ii	हस्तान्तरित भूमि पर देय स्टाम्प ड्यूटी के प्रमाण	
iii	रजिस्ट्रेशन शुल्क के भुगतान की पावती	
iv	यदि नीलामी में यू०पी०एस०आई०डी०सी०/डी०आई०/एफ०आई०/बैंकों से भूमि खरीदी है, भुगतान किये गये मूल्य के समर्थन में किये गये आवश्यक अभिलेख।	
v	निर्मित/निर्माण किये जाने वाले भवन तथा सिविल कार्यों की विस्तृत लागत अनुमान (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/अप्रेजल नोट के अनुसार) और इसके साथ वाहय परामर्शदाताओं/सी०ए० फर्मों द्वारा तैयार ले—आउट प्लान और लागत अनुमान तथा साविधिक लेखा—परीक्षकों द्वारा प्रमाणित लागत	
vi	स्कूटनी/वेरीफिकेशन एवं प्रमाणीकरण हेतु नियमावली के प्राविधानों के अनुसार आइटमवाइज संयंत्र एवं मशीनरी तथा विविध अचल परिसम्पत्तियों के मद में प्रस्तावित मूल्य/वास्तविक पूँजी निवेश को दर्शाते हुए विवरण।	
vii	नोडल एजेन्सी (पी०एम०ए०) के पैनल में शामिल सनदी लेखाकारों के माध्यम से शासनादेश के प्राविधान के अनुसार कम्पनी द्वारा किये गये पूँजीगत निवेश पर परीक्षण का प्रमाण-पत्र	
viii	नोडल एजेन्सी (पी०एम०ए०) के पैनल में शामिल परामर्शदाताओं/मूल्यांकनकर्ताओं/ इंजीनियर के माध्यम से साइट पर किये गये पूँजीगत निवेश (भूमि, भवन, संयंत्र तथा मशीनरी) के संस्थापन की जाँच/सत्यापन आद्या	

4- सरकारी एजेन्सियों द्वारा भूमि आवंटन में सहिती

क्र०	बिन्दु	विवरण	सम्बंधित दस्तावेज
i	भूमि प्रदान करने वाली सरकारी संस्था का नाम व पता		
ii	क्रय की गयी भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)		
iii	सर्किल रेट के अनुसार क्रय की गयी भूमि की कीमत		
iv	भूमि क्रय कीमत के सापेक्ष देय सब्सिडी का प्रतिशत		
v	देय प्रतिशत के अनुसार सब्सिडी की धनराशि (रु0)		
vi	परियोजना लागत (रु0)		
vii	परियोजना लागत धनराशि का 5 प्रतिशत (रु0)		
viii	दावा धनराशि (बिन्दु v अथवा vii में वर्णित धनराशि, जो भी कम हो) (रु0)		

5- राज्य कर विभाग से छूट (नेट जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति)

5.1 जी0एस0टी0 अधिनियम के अधीन अदा किये गये कर	विवरण	अपेक्षित दस्तावेज
i वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी जी.एस.टी.आई.एन.		
ii वित्तीय वर्ष _____ के लिए जमा किए गए जी.एस.टी. के सापेक्ष कर की राशि (रु0).		संबंधित अवधि के लिए राज्य सरकार के खाते में प्राप्त जीएसटी के समर्थन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
iii निर्भित उत्पाद के सापेक्ष जमा की गयी जीएसटी की राशि (रु0)		
iv अवधि के दौरान जमा किये गये जीएसटी में से प्रतिपूर्ति हेतु पात्र राशि (रु0)		

5.2 इकाई द्वारा अदा किए गए जी.एस.टी. के समर्थन में अपेक्षित दस्तावेज	संलग्नक पृष्ठ क्रमांक
i वाणिज्यिक कर विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।	
ii संबंधित वित्तीय वर्ष के इकाई स्तरीय लेखा परीक्षित लेखे (जिसके लिए जीएसटी प्रतिपूर्ति का दावा किया जा रहा है)	
iii कम्पनी के लिए संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए जीएसटी लेखा परीक्षा रिपोर्ट।	
iv इकाई के लिए संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए जीएसटी लेखा परीक्षा रिपोर्ट, (सनदी लेखाकार, द्वारा प्रमाणित एकल (stand alone) एसजीएसटी विवरण/प्रतिवेदन)	
v निर्भित माल/कारोबारी माल/कबाड़/स्टाक टास्फर की बिकी आदि के समाशोधन के लिए सीए का प्रमाण पत्र और इनके सापेक्ष अलग अलग अदा किया गया जीएसटी	

6- पूँजीगत उपादान एवं ब्याज उपादान एवं मार्जिन भनी अनुदान

6.1 पूँजीगत उपादान/ब्याज उपादान सुविधा हेतु सम्बन्धित तथ्यों का विवरण				
क्र0	विन्दु	विवरण	अपेक्षित दस्तावेज	संलग्नक पृष्ठ क्रमांक
1	2	3	4	5
i	बैंको/वित्तीय संस्थाओं का नाम और पता जिनसे ऋण प्राप्त किया गया		1. स्वीकृति पत्र, वित्तीय संस्था/बैंक के साथ करार	
ii	संयंत्र और मशीनरी में निवेश के लिए स्वीकृत ऋण की राशि		2. संयंत्र और मशीनरी के लिए ऋण प्रमाणित करने वाले बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण ब्याज एवं अन्य विवरण का प्रमाण पत्र।	
iii	ब्याज की दर		3. सम्पूर्ण अवधि, जिसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है, के दौरान भुगतान में कोई चूक न होने संबंधी बैंक/वित्तीय संस्था का प्रमाण पत्र।	
iv	स्वीकृति की तारीख		4. क्रय की गयी संयंत्र और मशीनरी का विवरण (इन्वाइस सहित)	
v	वितरण की तारीख सहित संयंत्र और मशीनरी में निवेश के लिए वितरित ऋण की राशि		5. बैंक एप्रेजल रिपोर्ट	

6.2 लोन एकाउन्ट का विवरण						
क्र0	वित्तीय संस्था/ बैंक का नाम व पता	बैंक-शाखा का नाम	बैंक में ऋण खाता संख्या	खाताधारक का नाम	IFSC Code	वितरित ऋण की धनराशि (₹0)
1	2	3	4	5	6	7

परियोजना लागत धनराशि (₹0)	कार्यरत कर्मचारियों/ श्रमिकों की संख्या	देय वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा (₹0) (नीति के बिन्दु 3.5.4 के अनुसार)	प्लान्ट एवं मशीनरी की कुल लागत धनराशि (₹0)	देय पूँजीगत उपादान की धनराशि		दावा धनराशि (₹0) कालम 4 अथवा कालम 7 में वर्णित धनराशि, जो भी कम हो
				प्रतिशत में	(₹0 में) (कालम 5) X (कालम 6)	
1	2	4	5	6	7	7

6.4 ब्याज उपादान हेतु दावा धनराशि का आगणन

क्रम सं०	वर्ष जिसके लिए सभिंडी का आवेदन किया गया	वर्ष के दौरान वित्तीय संस्था को किया गया भुगतान		ब्याज उपादान की अपेक्षित धनराशि			
		मूल धनराशि (रु०)	ब्याज उपादान धनराशि (रु०)	7 % की दर से अपेक्षित/देय ब्याज उपादान धनराशि (रु०)	अतिरिक्त 0.5 % उपादान की धनराशि यदि देय हो (रु०)	कुल धनराशि (रु०) (कालम-5 एवं कालम-6 का योग)	दावा धनराशि (रु०) (कालम-7 में वर्णित धनराशि अथवा रु० 1.5 करोड़ प्रतिवर्ष, जो भी कम हो
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	वर्ष-I ()						
2.	वर्ष-II ()						
3.	वर्ष-III ()						
4.	वर्ष-IV ()						
5.	वर्ष-V ()						
6.	वर्ष-VI ()						
7.	वर्ष-VII ()						
	कुल						

6.5 मार्जिन मनी वित्तीय सहायता हेतु आगणन तालिका

(रेशम उद्योग यथा :—चाकी कीट पालन, कोया उत्पादन, रीलिंग एवं स्पिनिंग हेतु)

बैंक अप्रेजल के अनुसार पूँजी निवेश (रु०)	अजा/अजजा के अतिरिक्त अन्य उद्यमियों को देय 15 प्रतिशत के अनुसार मार्जिन मनी दावा धनराशि (रु०)	अजा/अजजा उद्यमियों को देय 20 प्रतिशत के अनुसार मार्जिन मनी दावा धनराशि (रु०)
1	2	3

7- अवस्थापना ब्याज उपादान की वित्तीय सुविधा का आगणन

7.1 अवस्थापना ब्याज उपादान सुविधा हेतु सम्बन्धित तथ्यों का विवरण

क्र०	विन्दु	विवरण	अपेक्षित दस्तावेज		संलग्नक पृष्ठ क्रमांक
			4	5	
1	2	3			
i	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं का नाम और पता जिनसे ऋण प्राप्त किया गया		1. स्वीकृति पत्र, वित्तीय संस्था/बैंक के साथ करार		
ii	अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण की धनराशि		2. संयंत्र और भशीनरी के लिए ऋण प्रमाणित करने वाले बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण ब्याज एवं अन्य विवरण का प्रमाण पत्र।		
iii	ब्याज की दर		3. सम्पूर्ण अवधि, जिसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है, के दौरान भुगतान में कोई छूक न होने संबंधी बैंक/वित्तीय संस्था का प्रमाण पत्र।		
iv	स्वीकृति की तारीख		4. अवस्थापना सुविधाओं का विवरण (व्यय धनराशि, इन्वाइस, बिल-वाउचर सहित)		
v	संयंत्र और भशीनरी में ऋण निवेश की राशि विवरण की तारीखों सहित		5. बैंक एप्रेजल रिपोर्ट		

7.2 अवस्थापना ब्याज उपादान हेतु दावा धनराशि का आगणन

क्रम	वर्ष जिसके लिए सभिंडी का	वर्ष के दौरान वित्तीय	अवस्थापना ब्याज उपादान की अपेक्षित धनराशि

सं०	आवेदन किया गया	संस्था को किया गया मुगतान		5 % की दर से अपेक्षित/देय ब्याज उपादान धनराशि (रु०)	अतिरिक्त 2.5 % उपादान की धनराशि यदि देय हो (रु०)	कुल धनराशि (रु०) (कालम-५ एवं कालम-६ का योग)
		मूल धनराशि (रु०)	ब्याज (रु०)			
1	2	3	4	5	6	7
A	आवेदित वर्ष में देय दावा धनराशि की गणना					
	वर्ष-I ()					
	वर्ष-II ()					
	वर्ष-III ()					
	वर्ष-IV ()					
	वर्ष-V ()					
					योग (समग्र धनराशि)	
B	विभिन्न वर्षों में प्राप्त कुल धनराशि (रु०)					
C	प्रस्तर A व B में वर्णित धनराशियों का योग					
D	अतिरिक्त धनराशि (रु०) (Excess Amount) नोट:- 3. यदि प्रस्तर C में वर्णित धनराशि रु० एक करोड़ से कम है, तो अतिरिक्त धनराशि शून्य होगी। 4. यदि प्रस्तर C में वर्णित धनराशि रु० एक करोड़ से अधिक है, तो अतिरिक्त धनराशि की गणना निम्नवत् की जायेगी :- अतिरिक्त धनराशि = (प्रस्तर C में वर्णित धनराशि) - (रु० एक करोड़)					
E	देय दावा धनराशि (रु०) (प्रस्तर A में वर्णित धनराशि) - (प्रस्तर D में वर्णित धनराशि)					

7.3 अवस्थापना ब्याज उपादान से सम्बन्धित लोन एकाउन्ट का विवरण						
क०	वित्तीय संस्था/ बैंक का नाम व पता	बैंक-शाखा का नाम	बैंक में ऋण खाता संख्या	खाताधारक का नाम	IFSC Code	वितरित ऋण की धनराशि (रु०)
1	2	3	4	5	6	7

8- कार्यशील पूँजी उपादान :-

8.1 कार्यशील पूँजी उपादान से सम्बन्धित तथ्य				
क०	बिन्दु	विवरण	अपेक्षित दस्तावेज	संलग्नक पृष्ठ क्रमांक
i	बैंक/वित्तीय संस्था का नाम व पता		1. स्वीकृति पत्र, वित्तीय संस्था/बैंक के साथ कार्रार	
ii	कार्यशील पूँजी हेतु स्वीकृत सी०सी०एल० धनराशि (रु०)		2. कार्यशील पूँजी के लिए ऋण प्रमाणित करने वाले बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण ब्याज एवं अन्य विवरण का प्रमाण पत्र।	
iii	स्वीकृत ब्याज दर		3. सम्पूर्ण अवधि, जिसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है, के दौरान भुगतान में कोई चूक न होने संबंधी बैंक/वित्तीय संस्था का प्रमाण पत्र।	
iv	वितरित ऋण की धनराशि (रु०)		4. अवस्थापना सुविधाओं का विवरण (व्यय धनराशि, इन्वाइस, विल-वाउचर सहित)	
v	वितरित ऋण के सापेक्ष के बैंक में जमा की गयी ब्याज की धनराशि (रु०)		5. बैंक एप्रेजल रिपोर्ट	

8.2	कार्यशील पूँजी हेतु बैंक में लोन एकाउन्ट का विवरण					
क्र०	वित्तीय संस्था/ बैंक का नाम व पता	बैंक-शाखा का नाम	बैंक में ऋण खाता संख्या	खाताधारक का नाम	IFSC Code	वितरित ऋण की धनराशि (₹)
1	2	3	4	5	6	7

9- ₹०पी०एफ० की प्रतिपूर्ति

9.1	प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त श्रमिकों की संख्या			अपेक्षित दस्तावेज	संलग्नक पृष्ठ क्रमांक
9.2	क्या इकाई भारत सरकार की ₹०पी०एफ० स्कीम रिफार्म्स/ प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 03 वर्ष तक ₹०पी०एफ० प्रतिपूर्ति की सहायता प्राप्त कर चुकी है। (यदि हाँ, तो ऐसी इकाईयों को 02 अतिरिक्त वर्षों तक देय)			1. मुख्य प्रोत्साहक/प्राधिकृत- की ओर से इस आशय का शाखा पत्र कि उपर्युक्त सभी विवरण सत्य है और इकाई में संबंधित वर्ष की पूर्ण अवधि के लिए श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराया गया है, जिसके लिए प्रतिपूर्ति का आवदेन किया गया है। 2. कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत प्रपत्र-12 की प्रति। 3. ₹०पी०एफ.ओ. या कर्मचारी के भविष्य निधि न्यास में अदा किए गये अशंदानों का महीना-वार ब्लौरा जिसे ₹०पी०एफ.ओ के संबंधित सक्षम अधिकारी/न्यास के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।	
9.3	दावा वर्षों में यदि ₹०पी०एफ० प्रतिपूर्ति प्राप्त की गयी है, तो उसका वर्षवार विवरण	दावा वर्ष	धनराशि		
9.4	आवेदित वर्ष में किस दावा वर्ष हेतु प्रतिपूर्ति की मांग की गयी है ?				
9.5	दावा वित्तीय वर्ष में नियोक्ता अंशदान की धनराशि (₹)				
9.6	देय प्रतिपूर्ति का प्रतिशत (100 से अधिक तथा 200 तक प्रत्यक्ष रोजगार वाली इकाई को नियोक्ता अंश का 50 प्रतिशत) (200 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार वाली इकाई को नियोक्ता अंश का 60 प्रतिशत)				
9.7	देय प्रतिपूर्ति की दावा धनराशि (₹)				

10- माल-भाड़े की प्रतिपूर्ति

(प्रतिपूर्ति हेतु उसी माल-भाड़े की धनराशि को सम्मिलित किया जाये, जो सीधा इकाई से पोर्ट तक कम दूरी के रास्ते से वहन किया गया हो
एवं उसका निर्यात किया गया हो)

10.1	माल भाड़ा प्रतिपूर्ति का आगणन					
क्र०	दावा वर्ष का क्रमांक (प्रथम/द्वितीय /तृतीय/चतुर्थ /पंचम)	सम्बन्धित वित्तीय वर्ष	इकाई से पोर्ट तक चुकाये माल भाड़ा की कुल धनराशि (₹)	देय प्रतिपूर्ति का आगणन		
				प्रतिशत में	दावा धनराशि (₹)	
1	2	3	4	5	6	

योग

10.2	माल-भाड़ा प्रतिपूर्ति हेतु अपेक्षित दस्तावेज	दस्तावेज का विवरण	संलग्नक पृष्ठ क्रमांक
i	शिपमेन्ट बिल की प्रति कस्टम द्वारा सत्यापित		
ii	कन्टेनर डिपो के बिल की प्रति		
iii	कस्टम विलयरेन्स सर्टिफिकेट की प्रति		
iv	आयात निर्यात कोड (IEC) की प्रति		
V	उत्प्र० निर्यात प्रोत्साहन व्यूरो के पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति		
vi	चुकाये गये माल-भाड़े की रसीद		

11- कौशल विकास हेतु भारत सरकार की योजना में गैप फिलिंग अनुदान

11.1	कौशल विकास हेतु भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता की कुल धनराशि (रु०)		अपेक्षित दस्तावेज (भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के साथ संलग्न पृष्ठ क्रमांक
11.2 गैप फिलिंग अनुदान की गणना			
इकाई द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत प्रोजेक्ट की कुल लागत (रु०)	भारत सरकार से प्राप्त कुल वित्तीय सहायता	अवशेष प्रतिशत घटाये (100 प्रतिशत) - (कालम 3 में अंकित प्रतिशत)	देय अधिकतम वित्तीय सहायता
धनराशि (रु०)	कुल प्रोजेक्ट लागत के सापेक्ष वित्तीय सहायता का प्रतिशत	प्रतिशत के आधार पर प्रतिशत में (25 प्रतिशत अथवा कालम-3 में वर्णित प्रतिशत, जो भी कम हो	प्रशिक्षित एवं इकाई में रोजगार प्राप्त कर्मचारियों की संख्या के आधार पर कर्मचारियों की संख्या रु० 3300/- की दर से देय अधिकतम धनराशि (रु०)
1	2	3	4
			5
			6
			7
			8
			9

12- रोजगार सृजन अनुदान

(यह वित्तीय सुविधा उन्हीं मेंगा/सुपर मेंगा गारमेन्टिंग इकाईयों को प्राप्त होगी, जो न्यूनतम 15,000 सिलाई मशीनें स्थापित हों)

क्र०	दावा वर्ष का क्रमांक (प्रथम/द्वितीय /तृतीय/चतुर्थ /पंचम)	सम्बन्धित वित्तीय वर्ष	श्रमिकों की कुल संख्या	प्रदत्त वेतन की कुल धनराशि	अनुदान हेतु प्रभावी माहों की कुल संख्या	रोजगार सृजन अनुदान की धनराशि (रु०) (कालम-6) X रु० 3200/-
1	2	3	4	5	6	7

13- संलग्न अन्य दस्तावेजों का विवरण

क्र०	दस्तावेज का विवरण	संलग्नक पृष्ठ क्रमांक
13.1	गरीबी रेखा से नीचे के कामगारों का विवरण, समर्थक दस्तावेजों सहित (कर्मचारी विशिष्ट संख्याएं, ईपीएफओ संख्या, बीपीएल कार्ड, कर्मचारी वेतन सूची (पे रोल) आदि)	
13.2	अनुसूचित जाति/जनजाति के कामगारों का विवरण समर्थक दस्तावेजों और कर्मचारी पे रोल सहित	
13.3	महिला कामगारों का विवरण कर्मचारी पे रोल सहित	
13.4	दिव्यांग श्रमिकों का विवरण कर्मचारी पे रोल सहित	
13.5	प्राप्त की गई स्टाम्प डियूटी छूट की विस्तृत गणना	
13.6	प्राप्त की गई मण्डी शुल्क छूट की विस्तृत गणना	
13.7	प्राप्त की गई विद्युत शुल्क छूट की विस्तृत गणना	

घोषणा

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी ने उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र-विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवदेन नहीं किया है।

मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/है कि उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेन्टिंग पॉलिसी -2017 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मैं/हम जारी किए गए लाभों की तत्काल वापसी कर देंगे।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार कुल पृष्ठ

स्थान:

दिनांक:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

प्रारूप-5

उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र

(जलग एण्ड प्ले इन्फास्ट्रक्चर सुविधा हेतु)

(गारमेन्टिंग वस्त्र इकाईयों के लिए)

(सभी सहायक अभिलेखों को आवेदक द्वारा अपनी ओर से विधिवत रूप से प्राधिकृत निदेशक/साझेदार/अधिकारी द्वारा अधिग्राहित किया जाना चाहिये)

आवेदन पत्र का क्रमांक (परिषेकीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिषेक का कोड	जनपद कोड	आवेदन का क्रमांक	प्राप्ति का दिनांक

क्र०सं०	विवरण	ब्लौरा	सम्बन्धित सहायक दस्तावेज
1	उद्यमी का नाम		1. जलग-एण्ड प्ले सुविधा हेतु गारमेन्टिंग इकाई की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी०पी०आर०) संलग्न की जाये। (संलग्न पृष्ठ क्रमांक)
2	पिता/पति का नाम		2. प्रस्तावित स्थल पर “जलग एण्ड प्ले इन्फास्ट्रक्चर” की सुविधा हेतु उद्यमी द्वारा सहमति पत्र (एम०आ०य०) संलग्न किया जाये। (संलग्न पृष्ठ क्रमांक)
3	उद्यमी का पता		
4	उद्यमी का आधार नं०		
5	प्रस्तावित स्थल का विवरण		
5.1	प्रस्तावित स्थल का पता		
5.2	इकाई की स्थापना हेतु आवश्यक कवर्ड ऐरिया (वर्ग भीटर)		
6	प्रस्तावित इकाई में अनुमानित पूँजी निवेश		
7	प्रस्तावित इकाई में अनुमानित रोजगार सृजन		
8	“जलग एण्ड प्ले इन्फास्ट्रक्चर” की सुविधा हेतु उद्यमी के स्तर से भुगतान किया जाने वाला प्रस्तावित किराया		

घोषणा

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी में उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र-विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/हैं कि उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 के नियमों के अधीन यदि यह भाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मैं/हम जारी किए गये लाभों की तत्काल वापस कर दूँगा/देंगे।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार कुल पृष्ठ

तारीख:

स्थान:

उद्यमी के हस्ताक्षर

नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

प्रारूप-6

उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र (टेक्सटाइल पार्क/ वस्त्र औद्योगिक आस्थान के लिए)

(सभी सहायक अभिलेखों को आवेदक द्वारा अपनी ओर से विधिवत रूप से प्राधिकृत निदेशक/साझेदार/अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिये)

आवेदन पत्र का क्रमांक (परिषेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिषेत्र का कोड	जनपद कोड	आवेदन का क्रमांक	प्राप्ति का दिनांक

क्रमांक	विवरण	ब्यौरा	सम्बन्धित सहायक दस्तावेज
1	टेक्सटाइल पार्क/ वस्त्र औद्योगिक आस्थान का नाम		टेक्सटाइल पार्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) संलग्न की जाये। (संलग्न पृष्ठ क्रमांक _____)
2	टेक्सटाइल पार्क/ वस्त्र औद्योगिक आस्थान के परियोजना स्थल का पता		
3	जनपद		
4	एस0पी0वी0 (स्पेशल परपज वेहिकल) का संगठन (कान्सटीट्यूशन)		
5	पार्क की भूमि का विवरण क्षेत्रफल		
5.1	क्षेत्रफल (एकड़/ हेक्टेअर में)		
5.2	पूर्व से विद्यमान 30 मीटर छौड़ी सड़क दूरी एवं सम्पर्क मार्ग की स्थिति		
5.3	भूमि में जल निकासी व्यवस्था की स्थिति		
5.4	ट्रान्सफार्मर अथवा विद्युत उपकरण हेतु भूमि की उपलब्धता		
5.5	पुलिस स्टेशन हेतु भूमि की उपलब्धता		
5.6	फायर स्टेशन हेतु भूमि की उपलब्धता		
6	पार्क में अपेक्षित अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति		
6.1	इ0टी0पी0		
6.2	पेयजल की सुविधा		
6.3	वर्षाजल संचयन की सुविधा		
6.4	पार्किंग की सुविधा		
6.5	अन्य प्रचालन तन्त्र का विवरण		
6.6	मल जल निस्तारण प्रणाली अथवा ट्रैक सीवेज की स्थिति		

7. आवेदक द्वारा प्रार्थित/आवेदित वित्तीय सुविधाओं का विवरण

क्रमांक	मद	राशि (₹0)
7.1	समस्त वित्तीय सुविधाओं की कुल धनराशि (₹0)	
	आवेदित वित्तीय सुविधाओं का विवरण	
7.2	भूमि लागत व्याज उपादान	
7.3	अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु व्याज उपादान	
7.4	टेक्सटाइल पार्कों/ अस्थानों में स्टाफ वर्कर्टर/ हास्टल/	

	डोरमेट्री के निर्माण हेतु व्याज उपादान	
7.5	स्टाम्प ड्यूटी में छूट	

8. संलग्न सहायक दस्तावेजों का विवरण

क्र०	विवरण	संलग्नक पृष्ठ क्रमांक
8.1	समस्त अनुसूचियों सहित इकाई के लेखा परीक्षित लेखे (चालू पिता वर्ष के साथ-साथ पिछले पाँच वर्ष)	
8.2	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	
8.3	मौजूदा सकल परिसम्पत्तियों हेतु सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र	
8.4	सकल ब्लॉक के समर्थन में मौजूदा वस्त्र औद्योगिक उपकरण की स्थायी परिसम्पत्तियों की सनदी अभियंता द्वारा प्रमाणित सूची	
8.5	शपथपत्र (रु 10 के स्टाम्प पेपर पर अनुलग्नक-1 के अनुसार)	

धोषणा

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी मे उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र-विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/हैं कि उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मैं/हम जारी किए गये लाभों की तत्काल वापस कर दूँगा/देंगे।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार कुल पृष्ठ

तारीख:

स्थान:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित



प्रारूप-7

उम्प्र० वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र
(टेक्सटाइल पार्क / औद्योगिक आस्थान के लिए)

आवेदन पत्र का क्रमांक (परिषेक्तीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिषेक्त्र का कोड	जनपद कोड	आवेदन का क्रमांक	प्राप्ति का दिनांक

12- वितरण के स्तर पर जमा की जाने वाली सूचना एवं दस्तावेज

क्रम सं.	विवरण	ब्यौरा
1.1	आवेदक का नाम और पता	
1.2	मौजूदा / प्रस्तावित औद्योगिक उपकरण का परियोजना स्थल	
1.3	किए गये वास्तविक पूँजी निवेश का चरणबद्ध विवरण एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथियाँ (उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र अथवा सनदी लेखाकार (CA) का प्रमाण पत्र संलग्न करें)।	

13- टेक्सटाइल पार्क / औद्योगिक आस्थान में पात्र पूँजीगत निवेश का व्यौरा

क्रमांक	मद	नया/मौजूदा	विस्तार/विविधिकरण	विस्तार/विविधिकरण के अधीन वृद्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5
i	भूमि			
ii	भवन			
iii	अन्य निर्याण			
iv	संयंत्र और मशीनरी			
v	अवस्थापना सुविधायें			
	कुल			

14- वस्त्र औद्योगिक उपकरण द्वारा किये गये पूँजीगत निवेश का विवरण (धनराशि लाख रु० में)

क्रम सं०	घटक	परियोजना लागत		वास्तविक पूँजी निवेश (वैधानिक आडिट प्रमाण-पत्र के अनुसार)			कुल योग
		डी.पी.आर. के अनुसार	एप्रेजल के अनुसार	कट आफ डेट के पूर्व	कट आफ डेट व वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि के मध्य (यदि चरणों में, तो चरणबद्ध पूँजी निवेश)		
1	2	3	4	5	6	7	10 प्रतिशत
i	भूमि एवं साइट डेवलपमेन्ट						90 प्रतिशत
ii	भवन एवं सिविल वर्क्स						
iii	संयंत्र और मशीनरी						

IV	विविध स्थगी परिस्थितियाँ							
V	तकनीकी जानकारी (Technical knowhow) शुल्क							
vi	निर्माण अवधि के दौरान ब्याज							
vii	प्रारम्भिक एवं संचालन पूर्व (prel. and pre-operative) के खर्चे							
viii	कार्यशील पूँजी हेतु मार्जिन मनी योग							
नोट :- कम संख्या (v), (vi), (vii) एवं (viii) में किया गया पूँजी अर्ह नहीं होगा।								

3.2 पूँजी निवेश के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज

संलग्नक पृष्ठ क्रमांक

i	क्य मूल्य को दर्शाता पंजीकृत अभिलेख (रजिस्ट्री)	
ii	हस्तान्तरित भूमि पर देय स्टाम्प ड्यूटी का प्रमाण	
iii	रजिस्ट्रेशन शुल्क के भुगतान की पावती	
iv	यदि नीलमी में यूपीएस0आई0डी0सी0/डी0आई0/एफ0आई0/बैंकों से भूमि खरीदी है, भुगतान किये गये मूल्य के समर्थन में किये गये आवश्यक अभिलेख।	
v	निर्मित/निर्माण किये जाने वाले भवन तथा सिविल कार्यों की विस्तृत लागत अनुमान (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/अप्रेजल नोट के अनुसार) और इसके साथ वाहय परामर्शदाताओं/सी0ए0 फर्मों द्वारा तैयार ले-आउट प्लान और लागत अनुमान तथा साविक लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रमाणित लागत	
vi	स्कूटनी/वेरीफिकेशन एवं प्रमाणीकरण हेतु नियमावली के प्राविधानों के अनुसार आइटमवाइज संयंत्र एवं मशीनरी तथा विविध अचल परिस्थितियों के मद में प्रस्तावित मूल्य/वास्तविक पूँजी निवेश को दर्शाते हुए विवरण।	
vii	नोडल एजेन्सी (पी0एम0ए0) के पैनल में शामिल सनदी लेखाकारों के माध्यम से शासनादेश के प्राविधान के अनुसार कम्पनी द्वारा किये गये पूँजीगत निवेश पर परीक्षण का प्रमाण-पत्र	
viii	नोडल एजेन्सी (पी0एम0ए0) के पैनल में शामिल परामर्शदाताओं/मूल्यांकनकर्ताओं/इंजीनियर के माध्यम से साइट पर किये गये पूँजीगत निवेश (भूमि, भवन, संयंत्र तथा मशीनरी) के संस्थापन की जाँच/सत्यापन आख्या	

15- भूमि लागत ब्याज उपादान

(यह सुविधा गौतमबुद्ध नगर में स्थापित टेक्स्टाइल याकों/वस्त्र औद्योगिक आस्थानों हेतु देय नहीं है)

4.1 भूमि लागत ब्याज उपादान सुविधा हेतु सम्बन्धित तथ्यों का विवरण				
क्र०	बिन्दु	विवरण	अपेक्षित दस्तावेज	संलग्नक पृष्ठ क्रमांक
I	2	3	4	5
i	भूमि विकेताओं का विवरण		1. भूमि क्य एवं परियोजना लागत से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज संलग्न करें। (संलग्नक पृष्ठ क्रमांक _____)	
ii	क्य की गयी भूमि का क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर में)			
iii	सर्किल रेट के अनुसार क्य की गयी भूमि की कीमत			
iv	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं का नाम और		2. स्वीकृति पत्र, वित्तीय संस्था/बैंक के साथ करार	

	पता जिनसे ऋण प्राप्त किया गया		
v	टेक्सटाइल पार्क/वस्त्र औद्योगिक आस्थान हेतु बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण की धनराशि (रु0)		3. सम्पूर्ण अवधि, जिसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है, के दौरान भुगतान में कोई चूक न होने संबंधी बैंक/वित्तीय संस्था का प्रमाण पत्र। 4. बैंक अप्रेजल रिपोर्ट
vi	ब्याज की दर		
vii	स्वीकृति की तारीख		

4.2 भूमि लागत ब्याज उपादान हेतु दावा धनराशि का आगणन

क्रम सं०	वर्ष जिसके लिए सब्सिडी का आवेदन किया गया	वर्ष के दौरान वित्तीय संस्था को किया गया भुगतान		अवस्थापना ब्याज उपादान की अपेक्षित धनराशि	
		मूल धनराशि (रु०)	ब्याज (रु०)	50 % की दर से आगणित ब्याज उपादान धनराशि (रु०)	दैय ब्याज उपादान की धनराशि (कालम-५ में वर्णित धनराशि अथवा रु० ०१ करोड़ जो भी कम हो) (रु०)
1	2	3	4	5	6
i	वर्ष-I ()				
ii	वर्ष-II ()				
iii	वर्ष-III ()				
iv	वर्ष-IV ()				
v	वर्ष-V ()				
vi	वर्ष-VI ()				
vii	वर्ष-VII ()				

4.3 भूमि लागत ब्याज उपादान से सम्बन्धित लोन एकाउन्ट का विवरण

क्र०	वित्तीय संस्था/ बैंक का नाम व पता	बैंक-शाखा का नाम	बैंक में ऋण खाता संख्या	खाताधारक का नाम	IFSC Code	वितरित ऋण की धनराशि (रु०)
1	2	3	4	5	6	7

16- अवस्थापना ब्याज उपादान की वित्तीय सुविधा का आगणन

5.1 अवस्थापना ब्याज उपादान सुविधा हेतु सम्बन्धित तथ्यों का विवरण			
क्र०	बिन्दु	विवरण	अपेक्षित दस्तावेज
I	2	3	4
i	बैंको/वित्तीय संस्थाओं का नाम और पता जिनसे ऋण प्राप्त किया गया		1. स्वीकृति पत्र, वित्तीय संस्था/बैंक के साथ करार 2. अवस्थापना सुविधाओं के लिए ऋण प्रमाणित करने वाले बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण ब्याज एवं अन्य विवरण का प्रमाण पत्र। 3. सम्पूर्ण अवधि, जिसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है, के दौरान भुगतान में कोई चूक न होने संबंधी बैंक/वित्तीय संस्था का प्रमाण पत्र। 4. अवस्थापना सुविधाओं का विवरण (व्यय धनराशि, इन्वाइस, बिल-वाउचर सहित) 5. बैंक एप्रेजल रिपोर्ट
ii	अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण की धनराशि		
iii	ब्याज की दर		
iv	स्वीकृति की तारीख		
v	संयंत्र और मशीनरी में ऋण निवेश की राशि वितरण की तारीखों सहित		

5.2 अवस्थापना ब्याज उपादान हेतु दावा धनराशि का आगणन

क्रम	वर्ष जिसके लिए सब्सिडी का वर्ष के दौरान वित्तीय संस्था को	अवस्थापना ब्याज उपादान की अपेक्षित धनराशि
------	---	---

सं०	आवेदन किया गया	किया गया भुगतान		60 % की दर से आगणित ब्याज उपादान धनराशि (रु०)	देय ब्याज उपादान की धनराशि (कालम-5 में वर्णित धनराशि अथवा रु० 10 करोड़ जो भी कम हो)
		मूल धनराशि (रु०)	ब्याज (रु०)		
1	2	3	4	5	6
A	आवेदित वर्ष में देय दावा धनराशि की गणना				
	वर्ष-I ()				
	वर्ष-II ()				
	वर्ष-III ()				
	वर्ष-IV ()				
	वर्ष-V ()				
	वर्ष-VI ()				
	वर्ष-VII ()				
				योग (सभग्र धनराशि)	
B	विगत वर्षों में प्राप्त कुल धनराशि (रु०)				
C	प्रस्तर A व B में वर्णित धनराशियों का योग				
D	अतिरेक धनराशि (रु०) (Excess Amount) की गणना				
	1. यदि प्रस्तर C में वर्णित धनराशि रु० १० एक करोड़ से कम है, तो अतिरेक धनराशि शून्य होगी।				
	2. यदि प्रस्तर C में वर्णित धनराशि रु० १० एक करोड़ से अधिक है, तो अतिरेक धनराशि की गणना निम्नवत् की जायेगी :- अतिरेक धनराशि = (प्रस्तर C में वर्णित धनराशि) - (रु० ५० करोड़)				
E	देय दावा धनराशि (रु०) (प्रस्तर A में वर्णित धनराशि) - (प्रस्तर D में वर्णित धनराशि)				

5.3 अवस्थापना ब्याज उपादान से सम्बन्धित लोन एकाउन्ट का विवरण						
क्र०	वित्तीय संस्था / बैंक का नाम व पता	बैंक-शाखा का नाम	बैंक में ऋण खाता संख्या	खाताधारक का नाम	IFSC Code	वितरित ऋण की धनराशि (रु०)
1	2	3	4	5	6	7

17- स्टाफ क्वार्टर/हास्टल/डोरमेट्री के निर्माण हेतु ब्याज उपादान

6.1 स्टाफ क्वार्टर/हास्टल/डोरमेट्री निर्माण से सम्बन्धित तथ्यों का विवरण				
क्र०	बिन्दु	विवरण	अपेक्षित दस्तावेज	संलग्नक पृष्ठ क्रमांक
1	2	3	4	5
i	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं का नाम और पता जिनसे ऋण प्राप्त किया गया		1. स्वीकृति पत्र, वित्तीय संस्था/बैंक के साथ करार 2. स्टाफ क्वार्टर/हास्टल/डोरमेट्री के लिए ऋण प्रमाणित करने वाले बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण ब्याज एवं अन्य विवरण का प्रमाण पत्र।	
ii	स्टाफ क्वार्टर/हास्टल/डोरमेट्री हेतु बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण की धनराशि		3. सम्पूर्ण अवधि, जिसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है, के दौरान भुगतान में कोई चूक न होने संबंधी बैंक/वित्तीय संस्था का प्रमाण पत्र।	
iii	ब्याज की दर		4. स्टाफ क्वार्टर/हास्टल/डोरमेट्री का विवरण (व्यय धनराशि, इन्वाइस, बिल-वाउचर सहित)	
iv	स्वीकृति की तारीख		5. बैंक अप्रेजल रिपोर्ट	
v	स्टाफ क्वार्टर/हास्टल/डोरमेट्री में ऋण निवेश की राशि विवरण की तारीखों सहित			

6.2 स्टाफ क्वार्टर/हास्टल/डोरमेट्री निर्माण हेतु बैंक से लिये गये ऋण पर ब्याज उपादान हेतु दावा धनराशि का आगणन						
क्रम संख्या	वर्ष जिसके लिए सभिंडी का आवेदन किया गया	वर्ष के दौरान वित्तीय संस्था को किया गया भुगतान		अवस्थापना ब्याज उपादान की अपेक्षित धनराशि		
		मूल धनराशि (रु.)	ब्याज (रु.)	60 % की दर से आगणित ब्याज उपादान धनराशि (रु.)	देय ब्याज उपादान की धनराशि (कालम-5 में वर्णित धनराशि अथवा रु. 5 करोड़ जो भी कम हो)	
1	2	3	4	5	6	
A	आवेदित वर्ष में देय दावा धनराशि की गणना					
	वर्ष-I ()					
	वर्ष-II ()					
	वर्ष-III ()					
	वर्ष-IV ()					
	वर्ष-V ()					
	वर्ष-VI ()					
	वर्ष-VII ()					
				योग (समग्र धनराशि)		
B	विगत वर्षों में प्राप्त कुल धनराशि (रु.)					
C	प्रस्तर A व B में वर्णित धनराशियों का योग					
D	अतिरेक धनराशि (रु.) (Excess Amount) की गणना					
	1. यदि प्रस्तर C में वर्णित धनराशि रु. 0 एक करोड़ से कम है, तो अतिरेक धनराशि शून्य होगी।					
	2. यदि प्रस्तर C में वर्णित धनराशि रु. 0 एक करोड़ से अधिक है, तो अतिरेक धनराशि की गणना निम्नवत् की जायेगी :- अतिरेक धनराशि = (प्रस्तर C में वर्णित धनराशि) - (रु. 30 करोड़)					
E	देय दावा धनराशि (रु.) (प्रस्तर A में वर्णित धनराशि) - (प्रस्तर D में वर्णित धनराशि)					
6.3	स्टाफ क्वार्टर/हास्टल/डोरमेट्री निर्माण हेतु बैंक से लिये गये ऋण से सम्बन्धित लोन एकाउन्ट का विवरण					
क्रम संख्या	वित्तीय संस्था/ बैंक का नाम व पता	बैंक-शाखा का नाम	बैंक में ऋण खाता संख्या	खाताधारक का नाम	IFSC Code	वितरित ऋण की धनराशि (रु.)
1	2	3	4	5	6	7

18- संलग्न अन्य दस्तावेजों का विवरण

क्रम संख्या	दस्तावेज का विवरण	संलग्नक पृष्ठ क्रमांक
7.1	प्राप्त की गई स्टाम्प ड्यूटी छूट की विस्तृत गणना	

घोषणा

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी ने उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र-विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवदेन नहीं किया गया है।

मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/है कि उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेन्टिंग पॉलिसी -2017 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मैं/हम जारी किए गए लाभों की तत्काल वापसी कर देंगे।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार कुल पृष्ठ

स्थान:

दिनांक:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर
नाम.पदनाम और कार्यालय महर सहित

प्रारूप-8

उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र

(गुणवत्ता विकास उपादान की सुविधा हेतु)

(वस्त्र औद्योगिक इकाईयों के समूह/संघ के लिए)

(सभी सहायक अभिलेखों को आवेदक द्वारा अपनी ओर से विधिवत रूप से प्राधिकृत निदेशक/साझेदार/अधिकारी द्वारा अधिग्राहणित किया जाना चाहिये)

आवेदन पत्र का क्रमांक (परिषेक्त्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिषेक्त्र का कोड	जनपद कोड	आवेदन का क्रमांक	प्राप्ति का दिनांक

क्रमांक	विवरण	ब्यौरा	सम्बन्धित सहायक दस्तावेज
1	वस्त्र औद्योगिक इकाईयों के समूह/संघ का नाम एवं पता		1. समूह के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र, नियम-शर्तें (बाइलाज) (संलग्न पृष्ठ क्रमांक)
2	पंजीकरण संख्या व दिनांक		2. समूह में समिलित इकाईयों का विवरण (संलग्न पृष्ठ क्रमांक)
3	पंजीकरण करने वाले विभाग का नाम		3. गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) संलग्न की जाये।
4	समूह में समिलित इकाईयों की संख्या		(संलग्न पृष्ठ क्रमांक)
5	गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना हेतु प्रस्तावित पूँजी निवेश		4. स्वीकृति पत्र, वित्तीय संस्था/बैंक के साथ करार
6	गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला की अनुमानित वार्षिक आय (रु0)		5. संयंत्र और मशीनरी के लिए ऋण प्रमाणित करने वाले बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण ब्याज एवं अन्य विवरण का प्रमाण पत्र।
7	परीक्षण प्रयोगशाला हेतु बैंक से लिये गये ऋण का विवरण		6. सम्पूर्ण अवधि, जिसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है, के दौरान भुगतान में कोई चूक न होने संबंधी बैंक/वित्तीय संस्था का प्रमाण पत्र।
7(i)	बैंको/वित्तीय संस्थाओं का नाम और पता जिनसे ऋण प्राप्त किया गया		7. अवस्थापना सुविधाओं का विवरण (व्यय धनराशि, इन्वाइस, बिल-वाउचर सहित)
7(ii)	अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण की धनराशि		8. बैंक एप्रेजल रिपोर्ट
7(iii)	ब्याज की दर		
7(iv)	स्वीकृति का दिनांक		
7(v)	संयंत्र और मशीनरी में ऋण निवेश की धनराशि वितरण के दिनांक सहित		

8.	गुणवत्ता विकास ब्याज उपादान से सम्बन्धित लोन एकाउन्ट का विवरण					
क्र०	वित्तीय संस्था/ बैंक का नाम व पता	बैंक-शाखा का नाम	बैंक में ऋण खाता संख्या	खाताधारक का नाम	IFSC Code	वितरित ऋण की धनराशि (रु०)
1	2	3	4	5	6	7

9.	गुणवत्ता विकास ब्याज उपादान हेतु दावा धनराशि का आगणन					
क्रम सं०	वर्ष जिसके लिए सब्सिडी का आवेदन किया गया	वर्ष के दौरान वित्तीय संस्था को किया गया भुगतान	गुणवत्ता विकास ब्याज उपादान की अपेक्षित धनराशि			
			मूल धनराशि (रु०)	ब्याज (रु०)	5 % की दर से अपेक्षित / देय ब्याज उपादान धनराशि (रु०)	अतिरिक्त 2.5 % उपादान की धनराशि यदि देय हो (रु०)
1	2	3	4	5	6	7
A	आवेदित वर्ष में देय दावा धनराशि की गणना					
	वर्ष-I ()					
	वर्ष-II ()					
	वर्ष-III ()					
	वर्ष-IV ()					
	वर्ष-V ()					
					योग (समग्र धनराशि)	
B	विगत वर्षों में प्राप्त कुल धनराशि (रु०)					
C	प्रस्तर A व B में वर्णित धनराशियों का योग					
D	अतिरेक धनराशि (रु०) (Excess Amount) की गणना					
	5. यदि प्रस्तर C में वर्णित धनराशि ₹० एक करोड़ से कम है, तो अतिरेक धनराशि शून्य होगी।					
	6. यदि प्रस्तर C में वर्णित धनराशि ₹० एक करोड़ से अधिक है, तो अतिरेक धनराशि की गणना निम्नवत् की जायेगी :- अतिरेक धनराशि = (प्रस्तर C में वर्णित धनराशि) - (₹० एक करोड़)					
E	देय दावा धनराशि (रु०) (प्रस्तर A में वर्णित धनराशि) - (प्रस्तर D में वर्णित धनराशि)					

घोषणा

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी में उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र-विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/हैं कि उपर्युक्त वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मैं/हम जारी किए गये लाभों की तत्काल वापस कर देंगा/देंगे।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार कुल पृष्ठ

तारीख:

स्थान:

उद्यमी के हस्ताक्षर
नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

प्रारूप-9

उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र

(कौशल विकास हेतु भारत सरकार की योजना में गैप फ़िलिंग)

(वस्त्र औद्योगिक इकाईयों के समूह/संघ के लिए)

(सभी सहायक अभिलेखों को आवेदक द्वारा अपनी ओर से विधिवत रूप से प्राधिकृत निदेशक/साझेदार/अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिये)

आवेदन पत्र का क्रमांक (परिषेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिषेत्र का कोड	जनपद कोड	आवेदन का क्रमांक	प्राप्ति का दिनांक

क्र0सं0	विवरण	ब्यौरा	सम्बन्धित सहायक दस्तावेज
1	वस्त्र औद्योगिक इकाईयों के समूह/संघ का नाम एवं पता		1. समूह के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र, नियम-शर्ते (बाईलाज) (संलग्न पृष्ठ क्रमांक)
2	पंजीकरण संख्या व दिनांक		2. समूह में सम्मिलित इकाईयों का विवरण (संलग्न पृष्ठ क्रमांक)
3	पंजीकरण करने वाले विभाग का नाम		3. कौशल विकास हेतु भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के साक्ष्य (संलग्न पृष्ठ क्रमांक)
4	समूह में सम्मिलित इकाईयों की संख्या		

5. कौशल विकास हेतु भारत सरकार की योजना में गैप फ़िलिंग अनुदान

5.1	कौशल विकास हेतु भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता की कुल धनराशि (रु0)			अपेक्षित दस्तावेज (भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के साक्ष्य संलग्न पृष्ठ क्रमांक)		
5.2	गैप फ़िलिंग अनुदान की गणना					
समूह द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत प्रोजेक्ट की कुल लागत (रु0)	भारत सरकार से प्राप्त कुल वित्तीय सहायता	अवशेष प्रतिशत घटाये (100 प्रतिशत) - (कालम 3 में अंकित प्रतिशत)	देय अधिकतम वित्तीय सहायता		अनुदान हेतु दावा धनराशि (कालम-6 अथवा कालम-8 की धनराशि, जो भी कम हो (रु0))	
1	2	3	4	5	6	7
				X	8	9

धोषणा

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी में उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र-विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/हैं कि उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मैं/हम जारी किए गये लाभों की तत्काल वापस कर दूँगा/देंगे।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार कुल पृष्ठ

तारीख:

स्थान:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर
नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

प्रारूप-10

उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र

(कौशल विकास हेतु भारत सरकार की योजना में गैप फ़िलिंग)

एन0जी0ओ0 (गैर सरकारी संगठन) के लिये

(सभी सहायक अभिलेखों को आवेदक द्वारा अपनी ओर से विधिवत रूप से प्राधिकृत निदेशक/साझेदार/अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिये)

आवेदन पत्र का क्रमांक (परिषेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिषेत्र का कोड	जनपद कोड	आवेदन का क्रमांक	प्राप्ति का दिनांक

क्रमांक	विवरण	ब्यौरा	सम्बन्धित सहायक दस्तावेज
1	एन0जी0ओ0 का नाम एवं पता		1. समूह के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र, नियम-शर्तें (बाइलाज) (संलग्न पृष्ठ क्रमांक)
2	पंजीकरण संख्या व दिनांक		2. समूह में सम्मिलित इकाईयों का विवरण (संलग्न पृष्ठ क्रमांक)
3	पंजीकरण करने वाले विभाग का नाम		3. कौशल विकास हेतु भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के साक्ष्य (संलग्न पृष्ठ क्रमांक)
4	समूह में सम्मिलित इकाईयों की संख्या		

6. कौशल विकास हेतु भारत सरकार की योजना में गैप फ़िलिंग अनुदान

5.1	कौशल विकास हेतु भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता की कुल धनराशि (रु0)		(भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के साक्ष्य संलग्न पृष्ठ क्रमांक)	अपेक्षित दस्तावेज	
	गैप फ़िलिंग अनुदान की गणना				
एन0जी0ओ0 द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत प्रोजेक्ट की कुल लागत (रु0)	भारत सरकार से प्राप्त कुल वित्तीय सहायता	अवशेष प्रतिशत घटाये (100 प्रतिशत) – (कालम 3 में अंकित प्रतिशत)	देय अधिकतम वित्तीय सहायता प्रतिशत के आधार पर	प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों की संख्या के आधार पर	अनुदान हेतु दावा धनराशि (कालम-6 अथवा कालम-8 की धनराशि, जो भी कम हो (रु0))
1	2	3	4	5	6
				7	8
					9

घोषणा

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी में उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र-विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/हैं कि उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मैं/हम जारी किए गये लाभों की तत्काल वापस कर दूँगा/देंगे।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार कुल पृष्ठ

तारीख:

स्थान:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

प्रारूप-11 अ

उम्प्र० वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र

(भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कलस्टरों में राज्य सरकार द्वारा ऐप फ़िलिंग सुकिया)

(सभी सहायक अभिलेखों को आवेदक द्वारा अपनी ओर से विधिवत रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिग्राहित किया जाना चाहिये)

आवेदन पत्र का क्रमांक (परिसेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिसेत्र का कोड	जनपद कोड	आवेदन का क्रमांक				प्राप्ति का दिनांक

समिति का विवरण

1	ब्लाक स्टर ब्लॉकस्टर का नाम क्रियान्वयन संस्था का नाम एवं पता							
2	पंजीकरण संख्या एवं दिनांक							
3	समिति का प्रकार							
	(अ) प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समिति							
	(ब) शीर्ष हथकरघा समिति							
4	समिति में बुनकरों की कुल संख्या							
5	करघा रहित बुनकरों की कुल संख्या							
6	करघा सहित बुनकरों की कुल संख्या							
	(अ) सक्रिय							
	(ब) निष्क्रिय							
7	योजना में मदवार शामिल किये जाने के लिए प्रस्तावित बुनकरों की कुल संख्या	बुनकरों की श्रेणी	पुरुष	महिला	तकनीकी उन्नयन	एकल कार्यशाला में लाभान्वित बुनकरों की कुल संख्या	संयुक्त कार्यशाला में लाभान्वित बुनकरों की कुल संख्या	बुनकरों की कुल संख्या
		साधारण						
		अनु०जाति						
		अनु०जनजाति						
		अल्पसंख्यक						
		अन्य प्र०वर्ग						
		योग						
8	समिति का टर्नओवर	विवरण	वर्ष ()	वर्ष ()				
		पिछले वित्तीय वर्षों का बिक्री का टर्नओवर						
		शुद्ध लाभ						
9	समिति के मुख्य हथकरघा उत्पाद	वर्तमान			प्रत्याशित			
10	परियोजना प्रस्ताव का उद्देश्य							

समिति/संस्था के अध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर
मुहर सहित

सहायक आयुक्त के हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रारूप-11 ब

उम्हा० वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र

(भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कल्स्टरों में राज्य सरकार द्वारा ऐप फिलिंग सुविधा)

(सभी सहायक अभिलेखों को आवेदक द्वारा अपनी ओर से विधिवत लूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिये)

आवेदन पत्र का क्रमांक (परिसेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिसेत्र का कोड	जनपद कोड	आवेदन का क्रमांक						प्राप्ति का दिनांक
			1	2	3	4	5	6	

प्रति समिति के आधारभूत सर्वेक्षण के लिए प्रपत्र

क्रियान्वयन संस्था का नाम—

पता—

बलस्टर का नाम —

पंजीकरण संख्या—

गॉव एवं डाकखाना—

जिला—

राज्य—

परिसेत्रीय कार्यालय का नाम—

समिति में शामिल बुनकरों की संख्या—

लाभान्वित किये जाने वाले बुनकरों की संख्या—

आपेक्षित कुल सहायता (लाख रु० मे०) —

क्रमांक	बुनकर का नाम	पिता/पति का नाम	पता	पुरुष	महिला	आयु	बुनकर की स्थिति		करघा की स्थिति		परिवार की आय प्रतिमाह	धर्म	जाति	एक वर्ष में कार्यरत दिनों की संख्या
							करघा सहित (हौं/नहीं)	करघा रहित (हा/नहीं)	चालू (हा/नहीं)	बन्द (हा/नहीं)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

करघे का प्रकार	करघों की संख्या	प्रयुक्त होने वाले यान्व का प्रकार	उत्पाद का विवरण	अपेक्षित सहायता									
				प्रोटोगिकी उन्नयन									
				नये करघे की संख्या	जैकार्ड की संख्या	मोटराइंज जैकार्ड	एसेसरीज की संख्या	मल्टीप्ल बूटी वीरिंग स्ट्रे	टेक आफ एण्ड लेट आफ मोशन	वार्प बीम एण्ड फैब्रिक बीम	नार्मल वार्पिंग मशीन	मोटराइंज वार्पिंग मशीन	मोटराइंज पर्न वाइडिंग मशीन
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

वर्तमान में कार्यशाला की स्थिति					अपेक्षित सहायता					अनुशुलित
					एकल/संयुक्त कार्यशाला निर्माण से लाभान्वित होने वाले बुनकरों का विवरण					
क्या कार्यशाला है (हौं/नहीं)	बी०पी०एल०/ए०पी०एल०	क्या कार्यशाला की आवश्यकता है (हौं/नहीं)	01 करघा	04 करघों या उससे अधिक						
30	31	32	33	34	35					

समिति/संस्था के अध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर
मुहर सहित

सहायक आयुक्त के हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रारूप-11 स

उम्प्र० वस्त्र एवं गरमेन्टिंग नीति-2017 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र

(भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कलस्टरों में राज्य सरकार द्वारा ऐप फ़िलिंग सुविधा)

(सभी सहायक अभिलेखों को आवेदक द्वारा अपनी ओर से विधिवत रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिग्राहणित किया जाना चाहिये)

आवेदन पत्र का क्रमांक (परिषेकीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिषेकीय कार्यालय द्वारा कोड	जनपद कोड	आवेदन का क्रमांक	प्राप्ति का दिनांक

वित्तीय प्रपत्र

क्र० सं०	मद का नाम	1—प्रोट्रैगिकी उन्नयन (लाख रु० मे०) (राज्यांश 90 प्रतिशत एवं लाभार्थी अंश 10 प्रतिशत)			
		संख्या	राज्य सरकार का अंश	लाभार्थी अंश	कुल
1	2	3	4	5	6
1	नये करघे अ- 60" तक रु० 25,000/- एक मुश्त ब- 60" से अधिक रु० 40,000/- एक मुश्त				
2	जैकार्ड के लिए रु० 15,000/- एक मुश्त				
3	मोटराईज जैकार्ड के लिए रु० 15,000/- एक मुश्त				
4	एससरीज (हील्ड्स, रीड, बॉविन, शटल, हार्नेस) के लिए रु० 4,000/- एक मुश्त				
5	मल्टीपल बूटी वीर्विंग स्ले रु० 7,000/- एक मुश्त				
6	टेक आफ एण्ड लेट आफ मोशन रु० 5,000/- एक मुश्त				
7	वार्प बीम एण्ड फैब्रिक बीम रु० 5,000/- एक मुश्त				
8	नार्मल वार्पिंग मशीन रु० 25,000/- एक मुश्त				
9	मोटराईज वार्पिंग मशीन रु० 45,000/- एक मुश्त				
10	मोटराईज पर्न वाइडिंग मशीन रु० 3,000/- एक मुश्त				
योग					
2—कार्यशाला निर्माण (लाख रु० मे०)					
एकल कार्यशाला हेतु रु० 70,000/- एक मुश्त (एससी/एसटी/महिला/बीपीएल हेतु 100 प्रतिशत एवं अन्य हेतु 75 प्रतिशत राज्य सरकार एवं 25 प्रतिशत ^{लाभार्थी अंश}					
04 करघों या उससे अधिक हेतु (संयुक्त कार्यशाला निर्माण) रु० 2,50,000/- एक मुश्त (एससी/एसटी/महिला/बीपीएल हेतु 100 प्रतिशत एवं अन्य हेतु 75 प्रतिशत राज्य सरकार एवं 25 प्रतिशत ^{लाभार्थी अंश}					
कुल योग (1+2)					

नोट— अतिरिक्त व्यय बुनकर द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

**समिति/संस्था के अध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर
मुहर सहित**

सहायक आयुक्त के हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रारूप-12

उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र

(कताई-बुनाई विषय के कालेजों को प्रायोगिक कार्य हेतु अनुदान)

(सभी सहायक अभिलेखों को आवेदक द्वारा अपनी ओर से विधिवत रूप से प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिये)

आवेदन पत्र का क्रमांक (परिस्केत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिसेत्र का कोड	जनपद कोड	आवेदन का क्रमांक	प्राप्ति का दिनांक

क्र0सं0	विवरण	बौरा	सम्बन्धित सहायक दस्तावेज
1	कालेज का नाम एवं पता		1. कालेज के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र (संलग्न पृष्ठ क्रमांक)
2	पंजीकरण संख्या व दिनांक		2. कालेज के प्रधानाचार्य/प्राधिकृत हस्ताक्षरी का विवरण का साक्ष्य (आधार कार्ड सहित) (संलग्न पृष्ठ क्रमांक)
3	कालेज को मान्यता प्रदान करने वाले बोर्ड का नाम		3. प्रायोगिक कार्य की डी0पी0आर0 (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) (संलग्न पृष्ठ क्रमांक)
4	वित्तपोषण के परिप्रेक्ष्य में कालेज की स्थिति		
5	कालेज के प्रधानाचार्य/प्राधिकृत हस्ताक्षरी का विवरण		
5(i)	नाम		
5(ii)	पदनाम		
5(iii)	मोबाइल नं0		
5(iv)	ई-मेल आई0 डी0		
5(v)	आधार नं0		
6	कालेज में कताई-बुनाई विषय में अध्ययनरत छात्रों की संख्या (कक्षावार)		
7	प्रायोगिक कार्य हेतु प्रस्तावित धनराशि (रु0)		

घोषणा

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी मे उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र-विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/हैं कि उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमे उक्त लाभों का सवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मैं/हम जारी किए गये लाभों की तत्काल वापस कर दूँगा/देंगे।

संलग्नक :— उपरोक्तानुसार कुल पृष्ठ

तारीख:

स्थान:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर
नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

प्रारूप-13

वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति 2017 में वर्णित “कलाई-बुनाई विषय के छात्रों को छात्रवृत्ति” सुविधा हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप

आवेदन-पत्र की पहचान संख्या (कार्यालय द्वारा मारा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिक्षेत्र का कोड	जनपद कोड	आवेदन का कमांक						आवेदन प्राप्ति की तिथि

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
विद्यालय
पता.....

छात्र/छात्रा का
नवीनतम फोटो

परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा
प्रभागित

महोदय,

मैं उम्प्र० वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति 2017 में वर्णित “कलाई-बुनाई विषय के छात्रों को छात्रवृत्ति” सुविधा प्राप्त करने हेतु
आवेदन कर रहा/रही हूँ। मुझसे सम्बन्धित विवरण निम्नवत् है :-

1	छात्र/छात्रा का नाम-	
2	पिता का नाम-	
3	जन्म तिथि-	
4	पता—	
5	आधार नम्बर— (आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न की जाये)	
6	मोबाइल नं०	
7	लिंग (पुरुष/महिला)	
8	वर्षा (सामान्य/अ०ज०/अ०ज०ज०/अ०पि०व०)	
9	विकलांगता की स्थिति (विकलांग/गैर-विकलांग)	
10	अल्पसंख्यक/गैर-अल्पसंख्यक	
11	छात्र की वर्तमान अध्ययन स्थिति (12वीं कक्षा में अध्ययनरत अथवा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण)	

12— भौतिक योग्यता का विवरण

(उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका की छायाप्रति संलग्न की जाये)

क्र०	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	विषय	विगत वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति	वर्तमान वर्ष में देय छात्रवृत्ति (रु०)
1	2	3	4	5	6
1					
2					

योग

13— बैंक खाते का विवरण

(बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न की जाये)

क्र०	बैंक का नाम	खाताधारक का नाम, जैसा कि बैंक पासबुक में है	बैंक-गांखा का नाम	विगत वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति	वर्तमान वर्ष में देय छात्रवृत्ति (रु०)
1	2	3	4	5	6

दिनांक :

(आवेदक के हस्ताक्षर)

प्रारूप-14

वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति 2017 में वर्णित 'हथकरघा बुनकर के सहायक कर्मी को मानदेय' सुविधा हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप

आवेदन पत्र का क्रमांक (परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिक्षेत्र का कोड	जनपद कोड	आवेदन का क्रमांक	प्राप्ति का दिनांक

सेवा में,

सचिव/सभापति
मेसर्स.

ज्ञापद.....

महोदय,

सहायक कर्मी का नवीनतम फोटो

परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रमाणित

मैं उ0प्र० वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति 2017 में वर्णित "हथकरघा बुनकर के सहायक कर्मी को मानदेय" सुविधा प्राप्त करने हेतु आवेदन कर रहा/रही हूँ। मुझसे सम्बन्धित विवरण निम्नवत् है :-

1	सहायक बुनकर का नाम-	
2	पिता का नाम-	
3	जन्म तिथि-	
4	पता-	
5	सहायक कर्मी का वर्तमान कार्य	
6	कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक	
5	आधार नम्बर— (आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न की जाये)	
6	मोबाइल नं०	
7	लिंग (पुरुष/महिला)	
8	वर्ग (सामाज्य/अ0जा०/अ0ज०जा०/अ0पि०व)	
9	विकलांगता की स्थिति (विकलांग/गैर-विकलांग)	
10	अल्पसंख्यक/गैर-अल्पसंख्यक	

11— बैंक खाते का विवरण

(बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न की जाये)

क्र०	बैंक का नाम	खाताधारक का नाम, जैसा कि बैंक पासबुक में है	बैंक— गांव का नाम	विगत वर्श में प्राप्त मानदेय	वर्तमान वर्श में देय मानदेय (रु०)
1	2	3	4	5	6

घोशणा :-मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/हैं कि उ0प्र० वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 के नियमों के अधीन है/हूँ। मेरे द्वारा दी गयी सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि कोई तथ्य भ्रामक/असत्य पाया जाता है तो उ0प्र० वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 के नियमों के अधीन समस्त प्रतिपूर्ति की धनराशि की वसूली की जा सकती है।

दिनांक :

(सहायक कर्मी के हस्ताक्षर)

प्रारूप-15 अ

उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र
 (प्रदेश के बाहर महानगरों में आयोजित प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता व्यय की प्रतिपूर्ति)

आवेदन पत्र का क्रमांक (परिषेकीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिषेक का कोड	जनपद कोड	आवेदन का क्रमांक	प्राप्ति का दिनांक

1— प्रदर्शनी/एक्सपो का नाम	
2— स्थान	
3— प्रस्तावित आयोजन अवधि	
4— आयोजक का नाम	
5— प्रतिभागी संस्था/बुनकर का नाम	
6— पता	
7— पिता का नाम	
8— आधार नम्बर	
9— ई-मेल आई डी एवं मोबाइल नम्बर	
10— प्रतिभागी समिति/संस्था का पंजीकरण संख्या	
11— इण्डियन हैण्डलूम ब्रान्ड/हैण्डलूम मार्क पंजीकरण संख्या व दिनांक	
12— बॉलिट स्टाल एरिया (वर्गफीट में)	
13—हथकरघा वस्त्र उत्पाद का नाम जिसे बिकी हेतु प्रदर्शनी में रखा जायेगा।	
14— अन्य विवरण यदि कोई हो।	

15— बैंक खाते का विवरण—

क्र०सं०	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम व पता	शाखा का नाम	IFSC CODE

नोट—लाभार्थी के रहस्ये एवं भोजन पर हुए व्यय का भुगतान अनुमन्य नहीं होगा।

धोषणा :—उपरोक्तानुसार प्रस्तुत बिल वाच्यर/कैश मेमो मेरी जानकारी में सही है। मेरे द्वारा यात्रा की गयी है। कोई तथ्य असत्य होने की दशा में प्रतिपूर्ति की धनराशि की वसूली की जा सकती है।

प्रतिभागी का नाम एवं हस्ताक्षर

प्रारूप-15 ब

उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु आवेदन पत्र
(विदेशों में आयोजित प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता व्यय की प्रतिपूर्ति)

आवेदन पत्र का क्रमांक (परिषेकीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिषेक का कोड	जनपद कोड	आवेदन का क्रमांक	प्राप्ति का दिनांक

1. प्रतिभागी का नाम—.....
2. पिता का नाम—.....
3. पता—.....
4. आधार नं.....
5. इमेल आईडी एवं मो.....
6. पासपोर्ट नं.....
7. विदेश में आयोजित प्रदर्शनी/फेयर का नाम व स्थान (देश का नाम सहित) जिसमें भाग लिया गया है
8. आयोजन की अवधि— (दिनांक से दिनांक तक
9. बैंक खाते का विवरण—.....

क्रमांक	खाता धारक का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम व शाखा	बैंक शाखा का पता	आईएफएसी कोड

दावा प्रारूप

क्र0	मद	दर	प्रतिबन्ध
1	स्थानीय जनपद से एयरपोर्ट तक आने-जाने का एसी0 द्वितीय श्रेणी का किराया।	वास्तविक व्यय रु0 में	वास्तविक व्यय का 90 प्रतिशत
2	हथकरघा वस्त्रों को एयरपोर्ट तक लाने का भाड़ा	वास्तविक व्यय रु0 में	वास्तविक व्यय का 90 प्रतिशत
3	हथकरघा वस्त्रों को ले जाने एवं शेष बचे वस्त्रों को वापस लाने का वायुयान का भाड़ा	वास्तविक व्यय रु0 में	वास्तविक व्यय का 90 प्रतिशत
4	मेला/प्रदर्शनी वाले देश में आने-जाने का वायुयान का भाड़ा (एक व्यक्ति का इकोनॉमी क्लास)	वास्तविक व्यय रु0 में	वास्तविक व्यय का 90 प्रतिशत
5	मेला/प्रदर्शनी में स्टाल/विद्युत/फर्नीचर का किराया/पंजीकरण शुल्क	वास्तविक व्यय रु0 में	वास्तविक व्यय का 90 प्रतिशत
	योग		

प्रतिपूर्ति हेतु कुल धनराशि (अंकों में).....

शब्दों में.....

नोट:-लाभार्थी के ठहरने एवं भोजन पर हुए व्यय का भुगतान अनुमत्य नहीं होगा।

घोषण :-उपरोक्तानुसार प्रस्तुत बिल वाउचर/कैश मेमो मेरी जानकारी में सही है। मेरे द्वारा यात्रा की गयी है। कोई तथ्य असत्य होने की दशा में प्रतिपूर्ति की धनराशि की वसूली की जा सकती है।

प्रतिभागी का नाम एवं हस्ताक्षर

प्रारूप-16 (अ)

उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु अग्रसारण-पत्र
(कताई-बुनाई विषय के छात्रों को छात्रवृत्ति सम्बन्धी आवेदन-पत्रों का अग्रसारण)

आवेदन पत्र का क्रमांक (परिस्कैत्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिस्कैत्र का कोड	जनपद कोड	आवेदन का क्रमांक	प्राप्ति का दिनांक

सेवा में,

सहायक आयुक्त,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
परिस्कैत्र
महोदय,

हमारे विद्यालय में कताई-बुनाई विषय से 11वीं एवं 12वीं कक्षा में अध्ययनरत/उत्तीर्ण छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित प्रारूप-13 पर आवेदन किया गया है। छात्रों के आवेदन-पत्र संस्तुति सहित अग्रसारित किये जा रहे हैं।

क्रमांक	विवरण	चौरा	सम्बन्धित सहायक दस्तावेज
1	कालेज का नाम एवं पता		1. कालेज के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र (संलग्न पृष्ठ क्रमांक)
2	पंजीकरण संख्या व दिनांक		2. कालेज के प्रधानाचार्य/प्राधिकृत हस्ताक्षरी का विवरण का साक्ष्य (आधार कार्ड सहित) (संलग्न पृष्ठ क्रमांक)
3	कालेज को मान्यता प्रदान करने वाले बोर्ड का नाम		3. निर्धारित प्रारूप-13 पर आवेदन-पत्र
4	वित्तपोषण के परिप्रेक्ष्य में कालेज की स्थिति		4. प्रारूप-13 के आवेदन-पत्रों की सूची निर्धारित प्रारूप-16 व पर (संलग्न पृष्ठ क्रमांक)
5	कालेज के प्रधानाचार्य/प्राधिकृत हस्ताक्षरी का विवरण		
5(i)	नाम		
5(ii)	पदनाम		
5(iii)	मोबाइल नं०		
5(iv)	ई-मेल आई० डॉ		
5(v)	आधार नं०		
6	प्रारूप-13 पर आवेदन करने वाले छात्रों की कुल संख्या		
7	छात्रवृत्ति हेतु अनुदान की धनराशि की गणना		

घोषणा

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि अग्रसारित किये जा रहे आवेदन-पत्र इस विद्यालय में कताई-बुनाई विषय के संस्थागत छात्रों के हैं।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार कुल पृष्ठ

तारीख:

स्थान:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

प्रारूप—16 ब

उ0प्र0 वस्त्र एवं गरमेन्टिंग नीति—2017 के अन्तर्गत वित्तीय सुविधा (कताई—बुनाई विषय के छात्रों को छात्रवृत्ति) हेतु अग्रसारित किये जाने वाले आवेदन—पत्रों की सूची

कालेज का नाम एवं पता

क्र0	छात्र का नाम	पिता का नाम	आधार नं0	मोबाइल नं0	बैंक खाते का विवरण					आवेदित धनराशि
					खाता संख्या	खाताधारक का नाम	बैंक का नाम	बैंक शाखा का नाम	आई0 एफ0 एस0सी0 कोड	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								योग		

तारीखः

स्थानः

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर
नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

प्रारूप-17 (अ)

उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 में वर्णित वित्तीय सुविधाओं हेतु अग्रसारण-पत्र
(हथकरघा बुनकर के सहायक कर्मियों को मानदेय सम्बन्धी आवेदन-पत्रों का अग्रसारण)

(यह अग्रसारण पत्र उन्हीं समितियों द्वारा अग्रसारित किया जाये, जिनका संचालक मण्डल वैध हो तथा समस्त अभिलेख पूर्ण हो)

आवेदन पत्र का क्रमांक (परिषेक्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)	परिषेक्रीय कार्यालय द्वारा भरा जायेगा) (9 अंकों की संख्या)	परिषेक्रीय का कोड	जनपद कोड	आवेदन का क्रमांक	प्राप्ति का दिनांक

सेवा में

सहायक आयुक्त,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
परिषेक्रीय

महोदय,

हमारी समिति के सदस्य बुनकरों के सहायक कर्मियों द्वारा उ0प्र0 वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 में वर्णित “हथकरघा बुनकर के सहायक कर्मी को मानदेय” हेतु निर्धारित प्रारूप-14 पर आवेदन किया गया है। सहायक कर्मियों के आवेदन-पत्र में वर्णित तथ्यों का समिति के अभिलेखों से मिलान करने के उपरान्त उचित पाये गये आवेदन पत्र संस्तुति सहित अग्रसारित किये जा रहे हैं।

क्रमांक	विवरण	ब्यौरा	सम्बन्धित सहायक दस्तावेज
1	समिति का नाम एवं पता		1. समिति के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र (संलग्न पृष्ठ क्रमांक _____)
2	पंजीकरण संख्या व दिनांक		2. समिति के समापति/प्राधिकृत हस्ताक्षरी का विवरण का साक्ष्य (आधार कार्ड सहित) (संलग्न पृष्ठ क्रमांक _____)
3	कार्यशील सदस्य बुनकरों की संख्या		3. निर्धारित प्रारूप-14 पर आवेदन-पत्र (संलग्न पृष्ठ क्रमांक _____)
4	सदस्य बुनकरों के सहायक कर्मियों की संख्या		4. प्रारूप-14 के आवेदन-पत्रों की सूची निर्धारित प्रारूप-17 व पर (संलग्न पृष्ठ क्रमांक _____)
5	समिति के समापति/प्राधिकृत हस्ताक्षरी का विवरण		5. समिति की आडिटेड बैलेन्सशीट (संलग्न पृष्ठ क्रमांक _____)
5(i)	नाम		
5(ii)	पदनाम		
5(iii)	मोबाइल नंं		
5(iv)	ई-मेल आईडी		
5(v)	आधार नंं		
	समिति का संचालक मण्डल		
6	प्रारूप-14 पर आवेदन करने वाले सहायक कर्मियों की कुल संख्या		
7	मानदेय हेतु अनुदान की कुल धनराशि (₹0)		
8	समिति के संचालक मण्डल का निर्वाचन दिनांक		

घोषणा

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि अग्रसारित किये जा रहे आवेदन-पत्र इस समिति में कार्यरत बुनकरों के सहायक कर्मियों के हैं।

संलग्नक :— उपरोक्तानुसार कुल _____ पृष्ठ

तारीख:

स्थान:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर
नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

प्रारूप-17 (ब)

**उ0प्र0 वस्त्र एवं गरमेन्टिंग नीति-2017 के अन्तर्गत वित्तीय सुविधा (सहायक कर्मियों को मानदेय)
हेतु अग्रसारित किये जाने वाले आवेदन-पत्रों की सूची**

समिति का नाम एवं पता
समिति का पंजीकरण संख्या

क्र	सहायक कर्मी का नाम	सम्बन्धित बुनकर का नाम	आधार नं०	मोबाइल नं०	आयु	बैंक साते का विवरण					आवेदित धनराशि
						खाता संख्या	खाताधारक का नाम	बैंक का नाम	बैंक शाखा का नाम	आई० एफ० एस०सी० कोड	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
									योग		

तारीख:

स्थान:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर
नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

इकाई के नाम से उ०प्र० राज्य में क्रय किये गये रु० 10/- के जनरल स्टाम्प पेपर पर पब्लिक नोटरी
के समक्ष शपथ-पत्र

मैं.....आयु.....वर्ष पुत्र (श्री/स्व०).....निवासी.....
.....मैं.....जिसका पंजीकृत
कार्यालयपर स्थित है, का.अधीकृत हस्ताक्षरी, सत्यनिष्ठा के साथ शपथ लेता हूँ एवं निम्नवत्
घोषणा करता हूँ :—

1. यह कि शपथी मे०काहै एवं कम्पनी के निदेशक मण्डल
द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव दिनांकके द्वारा यह शपथ पत्र दाखिल करने हेतु अधिकृत किया गया है।
(अ) मैं प्रमाणित करता हूँ कि राज्य सरकार की किसी उद्योग विशेष सम्बन्धी विभागीय नीति के अन्तर्गत आवेदक कम्पनी के वस्त्र औद्योगिक उपकम द्वारा कोई लाभ न तो प्राप्त किया है और न ही भविष्य में प्राप्त करेंगे।
2. यह कि मैंनिम्नवत् शपथ लेता हूँ कि :—
(अ) यह कि आवेदक कम्पनी के औद्योगिक उपकम द्वारा शासनादेश संख्यादिनांकमें उल्लिखित सभी प्रावधानों का पालन किया जायेगा एवं किसी भी स्थिति में यदि यह पाया गया कि आवेदक कम्पनी के औद्योगिक उपकम द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन किया गया है अथवा असत्य जानकारी उपलब्ध करायी गयी है तो ऐसी दशा में आवेदक इकाई के औद्योगिक उपकम को स्वीकृत विशेष सुविधाओं को वापस किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।
(अ) (यह कि आवेदक कम्पनी के औद्योगिक उपकम द्वारा शासनादेश संख्यादिनांकमें उल्लिखित सभी प्रावधानों का पालन किया जायेगा एवं किसी भी स्थिति में यदि यह पाया गया कि आवेदक कम्पनी के औद्योगिक उपकम द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन किया गया है अथवा असत्य जानकारी उपलब्ध करायी गयी है तो ऐसी दशा में आवेदक इकाई के औद्योगिक उपकम द्वारा “उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एण्ड गारमेन्टिंग पालिसी-2017” के अन्तर्गत वास्तविक अनुमन्य राशि से अधिक प्राप्त किये गये वित्तीय लाभ की राशि को वापस किया जायेगा।
3. यह कि आवेदक इकाई के औद्योगिक उपकम द्वारा उपलब्ध करायी गयी सभी सूचनायें/दस्तावेज मेरी जानकारी/विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य है।

स्थान—

दिनांक—

शपथकर्ता

सत्यापन

मैं.....उपरोक्त नामित शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कि प्रस्तर 1 से 3 पर इंगित विवरण मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सही है एवं कोई भी तथ्यप्रक जानकारी छिपाई नहीं गयी है एवं दोषरहित है।
सत्यापित एवं हस्ताक्षरितदिनांक.....

शपथकर्ता

नोट- इकाई के निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव जिसके द्वारा शपथकर्ता को उपरोक्त शपथपत्र दाखिल करने हेतु अधिकृत किया गया है, प्रमाणित प्रति शपथ पत्र के साथ संलग्न करें।

तालिका-7

परिषेत्रीय कार्यालय के पतों का विवरण

क्रमांक	परिषेत्रीय अधिकारी का नाम व पता	परिषेत्रीय
1.	सहायक आयुक्त (हथकरघा), गोरखपुर	सी०-११-१२ औद्योगिक आस्थान, गोरखनाथ, गोरखपुर-२७३००१
2.	सहायक आयुक्त (हथकरघा), वाराणसी	रथ यात्रा चौराहा, वाराणसी २२१००८
3.	सहायक आयुक्त (हथकरघा), मऊ	निजामुद्दीन पुरा, मऊ, २७५१०१
4.	सहायक आयुक्त (हथकरघा), फैजाबाद	धारा रोड, फैजाबाद २२४००१
5.	सहायक आयुक्त (हथकरघा), इलाहाबाद	६७ लाउदर रोड (इण्डियन प्रेस के सामने) इलाहाबाद २११००१
6.	सहायक आयुक्त (हथकरघा), लखनऊ	जिला पंचायत भवन, द्वितीय तल, राजा नवाब अली रोड, लखनऊ २२६००१
7.	सहायक आयुक्त (हथकरघा), कानपुर	कबीर भवन जी०टी० रोड, कानपुर २०८००१
8.	सहायक आयुक्त (हथकरघा), झासी	१९८ सी०-पी० मिशन कम्पाउण्ड, झासी २८४००१
9.	सहायक आयुक्त (हथकरघा), इटावा	डी०सी०बी० बिल्डिंग, नौरगाबाद, इटावा २०६००१
10.	सहायक आयुक्त (हथकरघा), अलीगढ़	नाब छतरी कम्पाउण्ड रसल गंज, अलीगढ़ २०२००१
11.	सहायक आयुक्त (हथकरघा), बरेली	सिटी रेलवे स्टेशन रोड, बरेली, २४३००१
12.	सहायक आयुक्त (हथकरघा), मुरादाबाद	विकास भवन, काठ रोड, मुरादाबाद २४४००१
13.	सहायक आयुक्त (हथकरघा), मेरठ	थापर नगर, गली नं० ५, मेरठ २५०००१

तालिका-8

परिषेकों एवं उनके अन्तर्गत जनपदों की सूची (कोड सहित)

S.No.	Name of Region	Region Code	Name of District	District Code
1	Aligarh	01	Agra	01
			Aligarh	02
			Etah	03
			Hathras	04
			Kasganj	05
			Mathura	06
2	Allahabad	02	Allahabad	07
			Banda	08
			Chitrakoot	09
			Fatehpur	10
			Kaushambi	11
			Pratapgarh	12
3	Bareilly	03	Bareilly	13
			Budaun	14
			Pilibhit	15
			Shahjanhpur	16
4	Etawah	04	Auraiya	17
			Etawah	18
			Farukkhabad	19
			Firozabad	20
			Kannauj	21
			Mainpuri	22
5	Faizabad	05	Ambedkarnagar	23
			Amethi	24
			Bahraich	25
			Balrampur	26
			Faizabad	27
			Gonda	28
			Shravasti	29
			Sultanpur	30
6	Gorakhpur	06	Basti	31
			Deoria	32
			Gorakhpur	33
			Kushinagar	34
			Maharajganj	35
			Sant Kabir Nagar	36
			Siddharthnagar	37
7	Jhansi	07	Hamirpur	38

			Jalaun	39
			Jhansi	40
			Lalitpur	41
			Mahoba	42
8	Kanpur	08		
			Kanpur Dehat	43
			Kanpur Nagar	44
			Unnao	45
9	Lucknow	09		
			Barabanki	46
			Hardoi	47
			Lakhimpur Khiri	48
			Lucknow	49
			Raebareli	50
			Sitapur	51
10	Mau	10		
			Azamgarh	52
			Balia	53
			Ghazipur	54
			Mau	55
11	Meerut	11		
			Baghpat	56
			Bulandshahar	57
			Gautambudh nagar	58
			Ghaziabad	59
			Hapur	60
			Meerut	61
			Muzaffarnagar	62
			Saharanpur	63
			Shamli	64
12	Moradabad	12		
			Bijnor	65
			J P Nagar (Amroha)	66
			Moradabad	67
			Rampur	68
			Sambhal	69
13	Varanasi	13		
			Chandauli	70
			Jaunpur	71
			Mirzapur	72
			Sant Ravidas Nagar Bhadohi	73
			Sonbhadra	74
			Varanasi	75

तालिका-९

उ०प्र० के आंचलिक क्षेत्रवार जनपदों की सूची

पूर्वोन्देश	बुन्देलखण्ड	मध्योन्देश	पश्चिमोन्देश
फैजाबाद मण्डल	झांसी मण्डल	कानपुर मण्डल	आगरा मण्डल
1.फैजाबाद	1.झांसी	1.कानपुर नगर	1.आगरा
2.अम्बेडकर नगर	2.जालौन	2.कानपुर देहात (रमाबाईनगर)	2.फिरोजाबाद
3.बाराबंकी	3.ललितपुर	3.इटावा	3.मैनपुरी
4.सुल्तानपुर	चित्रकूट मण्डल	4.ओरेया	4.मथुरा
5.अमेठी	4.बांदा	5.फर्लखाबाद	5.अलीगढ़ मण्डल
गोरखपुर मण्डल	5.चित्रकूट	6.कन्नोज	6.हथरस
6.गोरखपुर	6.हमीरपुर	लखनऊ मण्डल	7.कासगंज
7.देवरिया	7.महोबा	7.लखनऊ	8.एटा
8.महाराजगंज		8.हरदोई	मुरादाबाद मण्डल
9.कुशीनगर		9.लखीमपुर	9.मुरादाबाद
इलाहाबाद मण्डल		खीरी	10.बिजनौर
10.इलाहाबाद		10.रायबरेली	11.सम्मल
11.कौशाम्बी		11.सीतापुर	12.रामपुर
12.फतेहपुर		12.उन्नाव	13.अमरोहा
13.प्रतापगढ़			मेरठ मण्डल
वाराणसी मण्डल			14.मेरठ
14.वाराणसी			15.बुन्देलखण्ड
15.बन्दौली			16.हापुड़ (पंचशीलनगर)
16.जौनपुर			17.बागपत
17.गाजीपुर			18.गाजियाबाद
मिर्जापुर मण्डल			19.गौतमबुद्धनगर
18.मिर्जापुर			सहारनपुर मण्डल
19.सन्तरविदासनगर (भदोही)			20.सहारनपुर
20.सोनभद्र			21.मुजफ्फरनगर
आजमगढ़ मण्डल			22.शामली
21.आजमगढ़			बरेली मण्डल
22.बलिया			23.बरेली
23.मऊ			24.बदायूं
देवीपाटन मण्डल			25.पीलीभीत
24.गोण्डा			26.शाहजहांपुर
25.बहराइच			
26.बलरामपुर			
27.श्रावस्ती			
बस्ती मण्डल			
28.बस्ती			
29.सन्तकबीरनगर			
30.सिद्धर्थनगर			